UPGK010026672021

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध), गोरखपुर।
उपस्थितः सुदेश कुमार "उच्चतर न्यायिक सेवा" "जे०ओ० कोड- UP1782"

सत्र वाद संख्या- 418/2021

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

बनाम

1- अरुण सिंह पुत्र मोहन सिंह, उम्र लगभग- 32 वर्ष
2- उषा सिंह पत्नी मोहन सिंह, उम्र लगभग- 52 वर्ष
निवासीगण ग्राम- बजहा, थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर।
....अभियुक्तगण।

मुकदमा अपराध संख्या- 192/2020
धारा-498ए,304बी,323,506 भा०दं०सं०
व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर।

अभियोजन द्वारा:- **श्री रमेश चन्द पाण्डेय** एवं **श्री अतुल कुमार शुक्ला** सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।
अभियुक्तगण द्वारा:– **श्री मधुसूदन त्रिपाठी** (अधिवक्ता)।

घटना की तिथि	अदम तहरीर
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	20.04.2020
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	19.06.2020
संज्ञान की तिथि	19.06.2020
आरोप विरचना की तिथि	01.04.2021 एवं 05.01.2022
विचारण प्रारम्भ होने की तिथि	01.04.2022
विचारण समाप्त होने की तिथि	01.07.2026

निर्णय
{आज दिनांक 01.07.2026 को घोषित}

1- अभियुक्तगण अरुण सिंह एवं उषा सिंह के विरूद्ध विचारण मुकदमा अपराध संख्या- 192/2020 धारा- 498ए,304बी,323,506 भा०दं०सं० व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत थाना- गुलरिहा, जिला- गोरखपुर द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने व सत्र सुपुर्दगी के आधार पर किया गया है।

2- इस सत्र विचारण से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा शशिप्रताप सिंह की छोटी बहन की शादी हिन्दू रीति-रिवाज से पिछले वर्ष माह अप्रैल 2019 में अरुन सिंह के साथ संपन्न हुआ था। वादी ने अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बहन को भेंट स्वरुप बहुत कुछ दिया था, लेकिन उसकी बहन के पति व उनके परिवार के लोग आए दिन किसी न किसी तौर पर रुपए की मांग करते रहते तथा जिसकी सूचना होने पर वादी तथा उसके सगे संबंधी कई बार जाकर बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह के पति व उनके परिवार के लोगों को समझा चुके हैं। लोक-लाजवश इसकी सूचना थाने पर नहीं दिया। दिनांक 19.04.2020 की रात में बहन के साथ उनके ससुराल के लोगों ने झगड़ा किया तथा उसे धमकी भी दिए, जिसकी सूचना उसने हमारे परिवार को दिया। दिनांक 20.04.2020 को उसकी बहन के घर से उसके इस दुनिया में न होने का समाचार सुनकर काफी हतप्रभ हो गया तथा उसके साथ जो घटना घटित हुई है। उसके पति अरुन सिंह व उसका देवर अजित सिंह व सास उषा सिंह पति मोहन सिंह के द्वारा ही उसकी बहन के साथ प्रताड़ना सहित मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी है। घटना काफी संगीन है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है।

3- वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर दिनांक 20.04.2020 को समय 18:57 बजे थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 192/2020 अंतर्गत धारा 498ए,304बी,323,506 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्तगण अरुन सिंह, अजीत सिंह एवं उषा सिंह के विरुद्ध दर्ज किया गया। विवेचक द्वारा इस मामले की विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचक द्वारा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण अरुन सिंह एवं उषा सिंह के विरुद्ध धारा 498ए,304बी,323,506 भा०दं०सं० व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 19.06.2020 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4- विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा दिनांक 24.11.2020 को अभियुक्तगण का प्रकरण सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपुर्द किया गया। सत्र न्यायालय द्वारा प्रकरण का स्थानान्तरण किये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण का प्रकरण इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

5- पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण अरुण सिंह एवं उषा सिंह के विरुद्ध दिनांक 01.04.2021 को धारा 498ए,304बी,323/34,506 भा०दं०सं०, धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप 302 के अंतर्गत तथा दिनांक 05.01.2022 को धारा 315 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप

विरचित किये गये। जिसे पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया गया तथा अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार कर विचारण की मांग की।

6- अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए मौखिक साक्षी पी०डब्लू०-1 लगायत पी०डब्लू०-6 को परीक्षित कराया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**
1.	पी०डब्लू०-1	शशि प्रताप सिंह (वादी मुकदमा)
2.	पी०डब्लू०-2	शैलेन्द्र सिंह
3.	पी०डब्लू०-3	हरेन्द्र सिंह
4.	पी०डब्लू०-4	डा० सुनील कुमार
5.	पी०डब्लू०-5	रचना मिश्रा
6.	पी०डब्लू०-6	उ०नि० वीरेन्द्र मिश्रा

7- अभियोजन के द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः–

क्रम संख्या	**प्रदर्श**	**दस्तावेज का विवरण**
1.	प्रदर्श क-1	वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर
2.	प्रदर्श क-2	पंचायतनामा
3.	प्रदर्श क-3	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
4.	प्रदर्श क-4	नक्शा–नजरी
5.	प्रदर्श क-5	आरोप पत्र
6.	प्रदर्श क-6	कायमी जी०डी०
7.	प्रदर्श क-7	प्रथम सूचना रिपोर्ट
8.	वस्तु प्रदर्श-1	शादी का कार्ड

8- अभियुक्तगण का कथन धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अंकित किया गया है। अभियुक्त अरुण सिंह द्वारा कथन किया गया है कि झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। झूठी तफ्तीश करके झूठा आरोप पत्र

प्रेषित किया गया है। उसके विरुद्ध गलतफहमी के कारण मुकदमा चला है। मृतका के पेट में तीन माह का बच्चा था और वह बच्चा दूसरे का था। जिस कारण वह अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली। अभियुक्ता उषा सिंह ने कथन किया है कि झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। झूठी तफ्तीश करके गलत एवं झूठा आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मृतका तीन माह की गर्भवती थी और वह बच्चा मेरे लड़के अरुण सिंह का नहीं था। मृतका इसी कारण आत्म ग्लानि में आकर आत्महत्या कर ली। अभियुक्तगण ने अपने कथन अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में सफाई साक्ष्य देना कहा है।

9- अभियुक्तगण का अतिरिक्त कथन धारा 313 दं०प्र०सं० भी अंकित किया गया है, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया है कि एफ०आई०आर० एन्टीटाईम दर्ज की गयी है। उनके विरुद्ध गलत मुकदमा चला है। वह लोग निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

10- बचाव पक्ष द्वारा अपनी ओर से बचाव साक्षी के रुप में अजीत सिंह को डी०डब्लू०-1 तथा सोनमती को डी०डब्लू०-2 के रुप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

11- अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०-1 शशि प्रताप सिंह** ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया कि मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह मेरी सगी छोटी बहन थी। उसकी शादी 23 अप्रैल 2019 को अरूण सिंह पुत्र मोहन सिंह ग्राम- बजहा, थाना- गुलरिहा, जिला- गोरखपुर के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार हुयी थी। शादी मेरे पिता द्वारा की गयी थी, लेकिन शादी की सारी व्यवस्था मेरे द्वारा किया गया था। शादी में लगभग ढ़ाई लाख रूपए नगद तथा गृहस्थी का सारा-सामान व सोने-चांदी के जेवरात अरूण सिंह व उनके परिवार वालों को दिया गया था। 29 अप्रैल 2019 को मेरी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह विदा होकर अपने पति के साथ ससुराल गयी। उसके कुछ दिन बाद से मेरे बहन के पति अरूण सिंह, सास उषा सिंह, देवर अजीत सिंह यह सभी लोग मेरी बहन से अतिरिक्त दहेज में ढ़ाई लाख रूपए की मांग करने लगे व उसी बात को लेकर मेरी बहन को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। इस बात की सूचना मेरी बहन मुझे तथा मेरे परिवार वालों को बताती थी। उसके बाद मेरी बहन रक्षा बन्धन में मेरे घर आयी थी, तब सारी बात बतायी। रक्षा बन्धन के बाद मैं अपनी बहन के ससुराल गया था व उसके सास व देवर को समझाने-बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह लोग नहीं माने। लोक-लाज की डर की वजह से किसी पुलिस थाना में हम लोगों ने सूचना नहीं दिया कि बाद में सब ठीक हो जावेगा, लेकिन यह लोग दहेज के लिए मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे। दिनांक 19.04.2020 को रात में लगभग बारह बजे मेरी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह ने मेरे पास फोन करके रोते हुए मुझसे कह रही थी कि मेरे पति अरूण सिंह, सास उषा सिंह व देवर अजीत सिंह यह सभी लोग दहेज की मांग करते हुए मुझसे झगड़ा किए है व मारपीट किए है कि ढ़ाई लाख रूपए अपने घर से मंगा लो नहीं तो जान से मार देंगे। जिस पर मैंने अपनी बहन से सुबह उसके घर आने की बात कहा और यह कहा कि तुम रोओ मत, कल सुबह तुम्हारे घर आकर तुमको अपने घर ले आयेंगे। दूसरे दिन सुबह 20.04.2020 को मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए गाड़ी खोज रहा था, लेकिन लाकडाउन होने के कारण कोई साधन व गाड़ी नहीं मिला। उसी दिन दोपहर में समय लगभग बारह बजे अस्मिता उर्फ नेहा सिंह का पति अरूण सिंह ने मुझे फोन करके सूचना दिया कि आपकी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह मर गयी है। यह सूचना सुनकर मैं हतप्रभ हो गया। उसके बाद मैं रोने लगा

तभी मेरे पट्टीदारी के बड़े भाई अपनी गाड़ी लेकर आए। उस गाड़ी से मैं व बड़े भाई सुनील व विष्णु सिंह, बड़ी बहन अनुराधा सिंह, अस्मिता उर्फ नेहा के ससुराल के लिए चल दिए। अभी हम लोग रास्ते में थे कि अस्मिता उर्फ नेहा का देवर अजीत सिंह मुझे फोन करके कहा कि हम लोग लाश जलाने के लिए घाट ले जाने की तैयारी कर रहे है। मेरे द्वारा यह कहे जाने पर कि हम लोग आ रहे है कि आप लोग जल्दी न करिए। हम लोग भी बहन का आखिरी दर्शन कर ले, लेकिन वह नहीं मान रहे थे। रास्ते में से ही 100 नम्बर पर पुलिस को फोन करके इस घटना के बारे में सूचना दिया और अपने अंकल जो गोरखपुर रहते है को फोन करके पूरी बात बतायी तो आप मौके पर पहुंच कर लाश न उठने दिजिएगा, रोके रहिएगा। उसके बाद हम सभी लोग अपनी बहन के ससुराल ग्राम- बजहा, बरगरही चौराहा पहुंचा व देखा कि वहां 100 नम्बर पुलिस के लोग मौजूद थे। उसके बाद मैंने प्रार्थना-पत्र बोलकर लिखवाकर, पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर थाना- गुलरिहा दिया कि मेरी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह को दहेज के लिए उसके पति अरूण, देवर अजीत व सास उषा सिंह उसे प्रताड़ित करते हुए दहेज के लिए उसे मार डाला तथा बोलकर प्रार्थना-पत्र में पूरी बातें लिखवायी थी। जिसके आधार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। शामिल मिसिल कागज संख्या- 5क/1 ता 5क/2 तहरीर प्रार्थना-पत्र को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया व कहा कि यह वही प्रार्थना-पत्र है जो मैंने थाना पर दिया था। उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर **प्रदर्श क-1** डाला गया। उसके बाद मैं फिर ग्राम- बजहा गया जहां पुलिस के लोग मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष मेरी बहन के शव का पंचनामा किया। पंचनामा पर मैं तथा मेरे चाचा शैलेन्द्र सिंह तथा सुनील सिंह व अन्य लोगों ने हस्ताक्षर बनाए। उसके बाद मेरी बहन अस्मिता सिंह के शव को सफेद कपड़े में सीलकर रखकर पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को भेज दिया गया। इस घटना के सम्बन्ध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मैंने विवेचक को शादी का कार्ड दिया था। शादी कार्ड शामिल मिसिल कागज संख्या- 8क को देखकर जिसको देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही कार्ड है, जिसे विवेचक को दिया था। जिस **वस्तु प्रदर्श क-1** डाला गया। साक्षी ने शामिल मिसिल कागज संख्या- 10क पंचनामा को देखकर उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर **प्रदर्श क-2** डाला गया।

12- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मेरा नाम शशि प्रताप सिंह है। मेरे पिता का नाम हरेन्द्र बहादुर सिंह है। मेरे दो बहनें है। एक मृतका अस्मिता सिंह है वह छोटी थी। मेरी बड़ी बहन का नाम अनुराधा सिंह है।

13- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आगे कथन किया है कि मैं मृतका अस्मिता उर्फ नेहा सिंह का बड़ा भाई है। मुझसे उम्र में वह दो से ढ़ाई वर्ष छोटी थी। शादी के अगुवा मेरे गांव के राजन सिंह जो मेरे बहन के पति अरूण सिंह के सगे मौसा भी है। वही शादी के अगुवा थे। शादी तय करने पहली बार मैं और मेरे गांव के राजन सिंह बड़े चाचा शैलेन्द्र सिंह, जीजा चन्द्रपाल सिंह व गांव के ही सुनील सिंह तथा मैं स्वयं गया था। मेरे बड़ा जीजा इन्द्रपाल सिंह का गांव भुसवल थाना- बांसगांव है। मैं उनको सूचना देकर बताया था कि शादी तय करने जाना है। शादी तय होने के लगभग एक साल बाद हुई थी। मुझे आज शादी की तारीख याद नहीं है। जब हम लोग शादी तय करने गये उस समय अरूण सिंह उनके पिता जी व माता तथा छोटे भाई मौजूद थे।

एक ही बार जाने पर शादी तय हो गयी थी। बीच-बीच में फोन पर शादी के सम्बन्ध में बातचीत होती थी। साक्षी ने अब कहा कि मैं एक बार अपने गांव के राजन सिंह के साथ भी गया था। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में इंगेजमेण्ट का कार्यक्रम हुआ। जिसकी निश्चित तिथि अब मुझे याद नहीं है। इंगेजमेन्ट के कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर में मैं, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, चाचा, चाची उनके बच्चे, दीदी, जीजा, मौसी, मामा के लड़के, मेरे गांव के सुनील सिंह व परिवार के अन्य लोग भी गए थे। लड़के के तरफ से लड़के के परिवार के लोग तथा 10-15 अन्य लोग भी थे। इसके बाद इंगेजमेण्ट के बाद तिलक का कार्यक्रम हुआ। जिसमें लगभग 50-60 लोग गए थे। तिलक का कार्यक्रम रात में हुआ था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हम लोग रात में ही लौट गए थे। तिलक का कार्यक्रम 17 अप्रैल 2019 को था। तिलक के कार्यक्रम में हम लोग खुश थे। लड़का पक्ष खुश था या नहीं यह बात मैं नहीं बता सकता हूं। शादी की तिथि व तिलक की तिथि इंगेजमेन्ट के कार्यक्रम के बाद जरिए टेलीफोन निश्चित हुआ था। शादी का तिथि 23 अप्रैल 2019 नियत हुई। शादी की तिथि को लड़के पक्ष बारात लेकर सात-आठ बजे के लगभग शाम को पहुंचे थे। बारात पहुंचने के बाद द्वार पूजा का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जलपान का कार्यक्रम हुआ एवं शादी के समस्त कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। बारात दूसरे दिन विदा हुई थी तथा मेरी बहन की विदाई 29 अप्रैल 2019 को हुई। 29 अप्रैल 2019 को सम्भवतः सुबह ही लड़का व उनके साथ चार-पांच लोग और आए थे। मेरी बहन की विदाई राजी-खुशी से हो गयी थी। शादी में भी कोई वाद-विवाद नहीं हुआ था। सामान्य तरीके से सारा कार्यक्रम सम्पन्न हो गया था।

14- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आगे कथन किया है कि गवने के बाद मेरी बहन रक्षाबन्धन के आसपास लगभग तीन महीने बाद मेरे घर आयी थी और 20-25 दिन रही थी। दूसरी बार मिठाई देकर विदा किया गया। उसके देवर उसे लेने आये थे। उसके देवर उसी दिन लेकर चले गये थे। विदाई मैंने अपने बहन की कर दिया। उसके बाद मार्च 2020 में मेरे घुटने का आपरेशन हुआ था। तब वह आयी थी और चार-पांच दिन रूकी थी। उसका पति भी आया था और छोड़कर चला गया था। फिर चार-पांच दिन बाद उसके पति अपने और मेरी बहन को विदा कर ले गये। लगभग दो माह बाद मेरा घुटना ठीक हुआ। मैं दवा राजस्थान जयपुर में करा रहा था।

15- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आगे कथन किया है कि घटना के एक दिन पहले अर्थात उसी रात को लगभग बारह बजे के आसपास मेरी बहन (मृतका) ने दीदी के मोबाईल पर फोन की थी। जिस नम्बर से फोन आया था। उसका मोबाईल नम्बर 9559857878 था। उक्त सिम मेरे नाम पर था। मैंने ही बहन को दिया था। दीदी का नम्बर जिस पर फोन आया था। वह 9198896397 था, जो मेरे ही नाम पर है। जिसका प्रयोग दीदी करती है। मैंने शिकायत में मोबाईल से फोन आया तथा नम्बर का उल्लेख नहीं किया है और न ही धारा- 161 दं०प्र०सं० के बयान में ही किया है। यह कहना सही है कि मैंने शिकायत में दिनांक 19.04.2020 को बहन द्वारा फोन करके सूचना देने की बात नहीं लिखाया है। मैंने शिकायत में सूचना परिवार को देने की बात लिखी है। परिवार में दीदी व मैं भी आता हूं। मेरी बहन की विदाई अप्रैल 2019 में हुई थी और उसकी मृत्यु 20.04.2020 को हुई। मैंने उस अवधि में पुलिस को कोई भी शिकायत नहीं की कि मेरी बहन को उसके

ससुराल के लोग मारते-पीटते है। मैंने अपनी शिकायत में यह बात नहीं लिखा है कि 19.04.2020 को मेरी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। मैंने अपनी शिकायत में दिनांक 19.04.2020 को बहन के साथ मारपीट की बात लिखायी। मैंने आंख से बहन की बाड़ी देखा था। गले पर उंगलियों के निशान थे। मैंने दिनांक 19.04.2020 को अपनी बहन का शरीर देखा था। मेरी बहन बीमार नहीं रहती थी। मैंने उसकी कोई दवा भी नहीं कराया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि शादी के बाद उसके पति ने उसका इलाज कराया है। यह कहना गलत है कि बीमारी के कारण मेरी बहन डिप्रेशन में रहती थी। पंचनामा के समय मैं मौजूद था। मेरा बयान भी पंचनामा के समय दरोगा जी ने लिखा था। पंचनामा 19-20 तारीख में हुआ था। पंचनामा दिनांक 20.04.2020 को ग्यारह बजे लगभग पंचनामा शुरू हुआ था। कब पंचनामा की कार्यवाही खत्म हुई, याद नहीं है। लगभग दो-तीन घण्टा लगा था। पंचनामा की कार्यवाही के समय मैं, सुरेन्द्र सिंह, सुनील सिंह आदि थे। हम लोगों का बयान दरोगा जी ने लिया था। पंचनामा में पंचों की राय के समय दिनांक 20.04.2020 को समय 12:30 बजे लगभग बन्द कमरे में गले में रस्सी से फन्दा लगाकर पंखे की कुण्डी पर लटकी पायी गयी, का नाम उल्लिखित है। दोनों पक्ष की मौजूदगी भी लिखी है। यह कहना गलत है कि मैं अदालत में झूठ बोल रहा हूं। मैं दिनांक 19.04.2020 को बहन के ससुराल गया था। वहां वॉडी बाहर पड़ी हुई थी। मेरी बहन का पंचनामा 20.04.2020 को हुआ था, जबकि पुलिस ने पंचनामा 21.04.2020 को किया है। उपरोक्त दोनों में पुलिस ने जो लिखा है, वह सही है। पंचनामा के समय मैं मौजूद था। दिनांक 20.04.2020 को लाश पोस्टमार्टम हाउस शाम को दो-तीन बजे चली गयी थी। अगर पुलिस ने 21.04.2020 को 14:25 पी०एम० पर लाश भेजना लिखा हो तो, मैं नहीं बता सकता। मेरी बहन की शरीर पर चोट के निशान थे। अगर पोस्टमार्टम में चोट के निशान न हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। यह सत्य है कि प्रदर्श क- 1 की तहरीर मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा है। यह सही है कि तहरीर लेखक के हस्ताक्षर प्रदर्श क-1 पर नहीं है। मैंने प्रदर्श क-1 पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर बनाया है जबकि प्रार्थी और मेरा नाम हिन्दी में है। यह कहना सही है कि प्रदर्श क-1 में तहरीर मुझे पढ़कर सुनायी गयी और उसके बाद मैंने हस्ताक्षर किया, नहीं लिखा है। प्रदर्श क-1 की तहरीर मैंने थाना पर दिनांक 20.04.2020 को तीन-चार बजे के लगभग दे दिया था और उसकी कापी मुझे दी गयी थी। यह कहना गलत है कि मैं घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हूं तथा सुनी सुनायी बात और लोगों के बताने पर मैंने अदालत में बयान दिया है।

16- अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०-2 शैलेन्द्र सिंह** ने सशपथ बयान किया कि अस्मिता उर्फ नेहा सिंह मेरी भतीजी थी। उसकी शादी अरून सिंह पुत्र मोहन सिंह, निवासी ग्राम- बजहा, थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर के साथ 23.04.2019 को हिन्दू रीति-रिवाज से शादी हुई थी। उसकी विदाई 29.04.2019 को हुई थी और वह विदा होकर अपने ससुराल चली गयी थी। ससुराल जाने के बाद मेरी भतीजी के ससुर मोहन सिंह, सास उषा सिंह, पति अरून सिंह, देवर अजीत सिंह ये सभी लोग मेरी भतीजी से नाराज रहते थे। ये सभी लोग मेरी भतीजी को यह कहते थे कि तुम दहेज में कम सामान लायी हो। अरून की शादी इससे अच्छी जगह होती। तुम्हारे वहां हम लोग शादी करके पछता रहे है। उसके बाद अरून सिंह के पिता मोहन सिंह विदेश चले गये। उसके बाद मेरी भतीजी की सास उषा सिंह, देवर अजीत सिंह, पति अरूण सिंह ये सभी लोग मेरी भतीजी को प्रताड़ित करने लगे। हमारी भतीजी यह बातें हम लोगों को फोन करके बतायी थी। यह लोग आये दिन मारते-पीटते थे। लड़की की विदाई के 5-6 माह बाद उषा सिंह, अजीत सिंह, अरून

सिंह ने पादरी बाजार के आस-पास जमीन की सौदा किये थे। मेरी भतीजे से फोन के माध्यम से हम लोगों से दो लाख पचास हजार रूपये की मांग करते थे। हम लोग सहमति से पैसे देने के लिए सहमत थे। उसी बीच हमारे भतीजा शशि प्रताप सिंह का पी०सी०एस०जे० कोचिंग दिल्ली में एडमिशन हो गया था। दिल्ली में बारिश के समय फिसल कर गिर गये थे, जो राजस्थान में लिगामेण्ट का आपरेशन हुआ था। उसी में पैसे खर्च हो गये थे। इसलिए हम लोग देने में असमर्थ हो गये और भतीजी के ससुराल वालों से समय मांगा था। मेरी भतीजी रक्षाबंधन के समय घर आयी थी और पैसे की बात बताई थी और मारने-पीटने की बात बताई। पैसे की मांग की बातचीत की थी। उसके बाद हम लोग दो-तीन लोगों के साथ अपने भतीजी के ससुराल गये और समझाये-बुझाये और हम चले आए। उसके बाद 19.04.2020 को वह रात में हम लोगों को फोन से बतायी कि उषा सिंह, अजीत सिंह और अरुन सिंह मार रहे हैं। हम लोग रात में ही गाड़ी खोजे उसके घर जाने के लिए, गाड़ी नहीं मिली। कोरोना कर्फ्यू का समय था। 20.04.2020 को उषा सिंह, अजीत सिंह, अरुन सिंह तीनों लोग मिलकर मेरी भतीजी अस्मिता सिंह का हत्या कर दिया। उनके घर के बगल से फोन आया कोई लेडीज की थी कि भाभी अस्मिता उर्फ नेहा सिंह मर गई। इस बात की सूचना मुझे मेरे भतीजे द्वारा प्राप्त हुई। उस समय मैं गोरखपुर रहता था। मैं अपने परिवार के साथ दो पहिया वाहन से ग्राम- बजहा अरुन सिंह के गांव घर पहुंच गया। बाहर दाह संस्कार के लिए लोग लेकर जा रहे थे। हम अकेले थे और हमारी पत्नी साथ में थी। मना करने पर यह लोग माने नहीं। फिर हमने अपने भतीजे के पास फोन किया। फिर 100 नम्बर पर फोन करके पुलिस को बुला लिया गया। ये लोग जबरदस्ती मार झगड़ा पर उतारू हो गये थे। पुलिस के मदद से रोका गया। तब जाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपने ही गाड़ी में लाश को लादकर मेडिकल कालेज ले गये थे। मेरी भतीजी का शव का पंचनामा हुआ था। यह याद नहीं है कि पंचनामा कहां हुआ था। पंचनामा पर मैंने अपने हस्ताक्षर किया था। शामिल मिसिल पंचनामा जिस पर पूर्व से प्रदर्श क-2 पड़ा हुआ है, को देखकर साक्षी ने बने हस्ताक्षर को देखकर तस्दीक किया। पोस्टमार्टम के बाद भतीजी अस्मिता उर्फ नेहा सिंह का दाह-संस्कार हमने किया था। इस घटना के बाद घटना के सम्बन्ध में सी०ओ० या विवेचक ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।

17- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी शैलेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०-2) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मेरे पिता जी का नाम स्व० बैजनाथ सिंह है। वैजनाथ सिंह के तीन लड़के है जिसका नाम क्रमशः हरेन्द्र बहादुर सिंह, शैलेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह है। हरेन्द्र बहादुर, जो लड़की के पिता है, जो घर पर नहीं रहते है। बगहर हैदराबाद रहते है और रहकर पेन्टिंग का काम करते है। तीनों भाई के परिवार एक में ही रहता है और शैलेन्द्र सिंह गोरखपुर में रहते है। तारामण्डल मखलिया में रहते है। ये पासपोर्ट आफिस में आनलाइन फार्म भरते है और एक भाई धीरेन्द्र सिंह मुम्बई में रहते है और एल्युमिनियम की ठेकेदारी करते है। तीनों भाई तीन जगह रहते है। एक हैदराबाद रहता है, एक गोरखपुर रहता एवं एक मुम्बई में रहता है। धीरेन्द्र सिंह मुम्बई में पूरे परिवार के साथ रहते है और मैं भी पूरे परिवार के साथ गोरखपुर में रहता हूं और गोरखपुर में अपना मकान बनवा लिया है। मेरे एक लड़का एवं एक लड़की है। लड़का मेरे साथ नहीं रहता है। वो नोएडा में साफ्टवेयर इंजिनियर है। मेरे भाई हरेन्द्र बहादुर सिंह के एक लड़का है एवं दो लड़कियां है। घटना के दिनांक व समय पर मैं गोरखपुर में था। मैं शशि प्रताप सिंह के सूचना पर मैं वहां गया था। पुलिस ने हमको इस मुकदमे में पंचनामा में गवाह बनाया था। पंचनामा

के समय पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने पुलिस को पंचनामा के समय यह बयान नहीं दिया था कि मेरी भतीजी अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह 20.04.2020 को समय करीब बारह बजे पी०एम० पर बन्द कमरे में गले में रस्सी से फंदा लगा कर पंखे की कुण्डी से लटकी पायी गई। पुलिस ने यह बात पंचनामा पर लिखकर यदि हस्ताक्षर करा लिया हो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पंचनामा पर क्या लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं था। इस पंचनामे पर ससुराल पक्ष के धर्मदेव सिंह और हरिश्चन्द सिंह और मायके के पक्ष के मैं और शशि प्रताप सिंह मृतक नेहा के भाई तथा गांव के पुनीत सिंह ने हस्ताक्षर बनाए थे। शशि प्रताप सिंह अधिवक्ता हैं। सुनील सिंह भी पढ़े लिखे है। मैंने पुलिस को एतराज किया था। ये कुण्डी लगाकर नहीं मरी थी। मैंने देखा नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि हत्या कर दिये। मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वह कुण्डी से लटक कर मरी थी या हत्या की गयी थी। मैंने पंचनामा को बिना पढ़े उस पर हस्ताक्षर बना दिये। मैं घर पर हर शनिवार जाता था। बाकी लोग जब घर पर फंक्शन पड़ता था तब घर आते थे और हरेन्द्र और धीरेन्द्र अपने परिवार के साथ आते थे। घर पर हमारी पत्नी और भतीजा रहते थे। जिस समय यह घटना घटी थी उस समय हरेन्द्र और धीरेन्द्र बाहर से सूचना पाकर घर पर आये थे।

18- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी शैलेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०-2) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आगे कथन किया है कि मैं घटनास्थल पर करीब 11-12 बजे पहुंचा था। मेरे पहुंचने के पहले पुलिस आ चुकी थी। जिस कमरे में मेरी भतीजी गले में रस्सी से फंदा लगाकर पंखे के कुण्डे में लटकी पायी गयी थी, उस कमरे को पुलिस अन्दर देखने नहीं गयी थी, क्योंकि कोरोना काल था सब लोग दूरी बनाकर रहते थे। पुलिस ने जो मेरा बयान पंचनामा में लिखा वह गलत लिखा। पढ़कर सुनाया भी नहीं था कि पुलिस ने पंचनामा में मेरा क्या बयान लिखा था। केवल मैं पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किया था। मेरे भतीजे ने जब मैं गोरखपुर में था तो यह सूचना फोन के द्वारा दिया था। मेरी भतीजी गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गयी है। पुलिस घटनास्थल से लाश को कितने बजे उठाकर ले गयी, मुझे समय नहीं पता है। मैं शव के समक्ष जब पुलिस लेकर गयी, तब मैं साथ में गया था। पहले लाश पुलिस ने गुलरिहा पुलिस चौकी पर ले गयी। गुलरिहा पुलिस चौकी पर पुलिस ने कुछ लिखा-पढ़ी किया। गुलरिहा चौकी पर पुलिस ने लाश को सील मुहर किया। पंचनामा वहां तैयार किया या नहीं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहां एक कागज पर हस्ताक्षर कराए। मैं यह नहीं बता सकता कि वह कौन-सा कागज था। मैंने उस कागज को पढ़ा नहीं था। पंचनामा प्रदर्श क-2 देखकर गवाह ने कहा कि इसी कागज पर पुलिस ने मुझसे घर पर दरखास्त कराया था। गुलरिहा चौकी पर जिस कागज पर दस्तखत कराया वह मैं नहीं बता सकता। दस्तखत एक बार ही किया था। दस्तखत 20.04.2020 को किया था। अपनी भतीजी के घर मैं दो-तीन बार गया हूं। फोर लेन से पश्चिम की तरफ पिपरोड कटी है। फिर आगे जाकर सड़क उत्तर मुड़ गयी है। खुद कहा कि गांव के अन्दर रास्ता जो गया है उस रास्ते से पूरब इनका मकान है। फिर रास्ता पूरब-पश्चिम हो गया है। पूरब के तरफ सबसे अंतिम मकान अभियुक्त अरूण सिंह पुत्र मोहन सिंह का है। नीचे दो कमरा है व ऊपर एक कमरा है। मकान दो मंजिला है। लाश किस मंजिल व किस कमरे से उठाकर लायी गयी थी, मैंने नहीं देखा था, लेकिन यह सच है कि मेरी भतीजी दूसरे मंजिल पर रहती थी। मेरी भतीजी को कौन उतारकर ले आया, यह भी मैंने नहीं देखा। अरूण सिंह के अगल-बगल घर में किसका-किसका मकान है, मैं नहीं बता सकता। खड़न्जा जो पूरब-पश्चिम गया है, उस खड़न्जे के उत्तर खाली जमीन है। पुलिस ने

नक्शा-नजरी कब बनाया, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं गया नहीं था। जब मैं पहुंचा तो लाश इनके दरवाजे के समाने रखा गया था। मैंने लाश को उलट-पलट कर देखा। उसके गले पर चोट थी व ब्लाउज फटा था और कहीं चोट नहीं था। लाश कितने बजे के करीब गुलरिहा पुलिस चौकी से मेडिकल कालेज पहुंची, समय का अन्दाजा नहीं है। मेरी भतीजी का कोई दवा-इलाज चलता था, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं चूंकि गोरखपुर में रहता था एवं दो दिन के लिए घर जाता था, इसका कारण मैं नहीं जानता कि उसका दवा-इलाज चलता था या नहीं। लड़की के पिता छः माह हैदराबाद व छः माह गांव पर रहते थे। महीना मुझे याद नहीं है कि किस माह में आते थे। धान व गेहूं के सीजन में आते थे। धान जुलाई में बोया जाता है, अगस्त-सितम्बर तक कट जाता है। जुलाई में आ जाते थे। फिर अप्रैल-मई में वह हैदराबाद चले जाते थे। धान व गेहूं का कार्यक्रम करके चले जाते थे।

19- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी शैलेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०-2) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आगे कथन किया है कि यह बात सत्य है कि अजीत सिंह मेरे घर जमीन खरीदने के लिए पैसा मांगे थे और दो लाख पचास हजार रूपये की मांग किये थे। यह रूपया मुझसे नहीं मांगे थे, बल्कि शशि से मांगे थे। यह रूपया अजीत सिंह न तो हमसे मांगे थे ना तो मेरे दोनों भाईयों से मांगे थे। यह बात कि अजीत सिंह मुझसे पैसा मांगे थे, मुझे शशि सिंह ने बताया था। रक्षाबन्धन किस तारीख को पड़ा था, मैं नहीं बता सकता। 20.04.2020 को मेरी भतीजी मोबाइल के द्वारा शशि से बात की थी, मुझसे बात नहीं की थी। वह नम्बर मुझे नहीं पता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नेहा के गांव के कौन से व्यक्ति ने शशि सिंह को फोन किया था कि अस्मिता सिंह की हत्या हो गई है। जिस समय मुझे यह सूचना मिली। उस समय मैं गोरखपुर में था। यह सूचना मुझे मेरे भतीजे ने दी थी। रक्षाबन्धन के दिन मैं अपने गांव गया था। मैं रक्षाबन्धन के दिन पांच-छः बजे गांव गया था। वहां एक-दो घण्टा रहा। रक्षाबन्धन के दिन अस्मिता सिंह के पिता घर पर नहीं थे। उसकी मां घर पर थी या नहीं थी, मुझे याद नहीं आ रहा है। शशि प्रताप सिंह बांसगांव कचहरी में एडवोकेट है। वहीं काम करते है। मुझे नहीं पता कि अस्मिता सिंह रक्षाबन्धन के दिन कब घर आयी थी। शाम को लगभग सात बजे अस्मिता अपने घर गयी थी। अपने हसवैण्ड के साथ। उसके हसवैण्ड घर आये थे। खाना वगैरह खा के शाम को अपनी पत्नी के साथ चले गये। यह बात सत्य है कि तीनों परिवार अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रहते है। ऐसा नहीं है कि मैं शशि प्रताप के कहने पर मैं झूठी गवाही देने चला आया। ऐसी भी बात नहीं है कि शशि प्रताप ने मुझे जो बात बताया था मैं केवल वहीं बात बता रहा हूं। मैं अरूण सिंह को खाना खाते खिलाते अपने घर पर नहीं देखा था। मैं रक्षा बन्धन के दिन अरूण सिंह को नहीं देखा था। मैं अरूण सिंह व उसके पत्नी के आने व उसके घर ले जाने की बात अपने घर वालों के बताने पर कहा है। मैंने इन लोगों को नहीं देखा था।

20- अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०-3 हरेन्द्र सिंह** ने सशपथ बयान किया कि मेरी बेटी अस्मिता उर्फ नेहा की शादी अरूण सिंह पुत्र मोहन सिंह ग्राम- बजहा, थाना- गुलरिहा, जिला- गोरखपुर के साथ दिनांक 23.04.2019 को हुयी थी। हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार बड़े ही धूमधाम से हुआ था। मेरी लड़की 29 अप्रैल 2019 को विदा होकर ससुराल गयी। मैंने अपनी लड़की को दान-दहेज उसके ससुराल वालों के मांगने के अनुरूप दिया था। जिसमें दो लाख चालीस हजार रूपया बैंक से ट्रांसफर करके उनके खाते में दिया था। जिसमें एक सोने की अंगूठी व चेन व घरेलू सामान देकर विदा किया था। मेरी लड़की जब

ससुराल में चली गयी तब कुछ दिन तक सब ठीक रहा। एक माह के बाद मेरी लड़की के पति अरूण सिंह उसके देवर अजीत सिंह, सास उषा सिंह वह लोग मेरी बेटी को अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते व मारते-पीटते व ढ़ाई लाख रूपए दहेज की मांग हम लोगों से मेरी लड़की के माध्यम से मांगना शुरू कर दिए। जब लड़की ने हम लोगों को बताया तब हम लोग लड़की के ससुराल वालों से अपनी गरीबी का हवाला देकर उन लोगों से अनुनय-विनय किया व समझाया-बुझाया व यह भी कहा कि हम लोगों की परिस्थिति ठीक हो जायेगी। हम लोग कुछ मदद कर देंगे। फिर कुछ दिन शान्त रहे लोग। अगस्त महीने में मेरी लड़की रक्षाबन्धन के समय मेरी लड़की मेरे घर आयी थी और फिर वह अपने ससुराल चली गयी। जब मेरी लड़की से अधिक दहेज की मांग व प्रताड़ना नहीं रुकी तो मैं अपने भाई लड़के व सुनील सिंह के साथ अपनी लड़की के ससुराल गया तथा उसके परिवार वालों को समझाया-बुझाया। लड़की बराबर मुझे फोन करती थी। अपने मोबाइल से व उसके साथ जो भी बीतता था, जो भी मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना भी बताती थी। मेरी लड़की अपनी मां व भाई से भी फोन से तथा जब मायके में आती थी तो अधिक दहेज में ढ़ाई लाख रूपया न मिलने की बात को लेकर प्रताड़ना की बात बताती थी। मेरी लड़की के मरने के एक दिन पूर्व दिनांक 19.04.2020 को टेलीफोन से बात हुयी थी। ग्यारह बजे दिन में हुयी थी। तो उसने अपने साथ हो रही प्रताड़ना व मार-पीट की बात बतायी थी। मैंने अपने लड़के को फोन करके बताया था कि तुम अपनी बहन को अपने घर बुला लो। मेरी लड़की को 19 तारीख को रात में भी उसके ससुराल वालों ने मारा-पीटा था। दिनांक 20.04.2020 को मेरी लड़की को उसके पति अरूण सिंह, देवर अजीत सिंह तथा उसकी सास उषा सिंह ने ढ़ाई लाख रूपया अतिरिक्त दहेज के लिए मार डाला। घटना के समय मैं व मेरी पत्नी वेस्ट गोदावरी आन्ध्र प्रदेश में था। उन दिनों वैश्विक महामारी के नाते आवागमन बन्द था। मुझे इस पूरे घटना की सूचना मेरे लड़के शशि प्रताप ने दिया था। मेरा बयान इस मुकदमे की विवेचना करने वाले अधिकारी ने टेलीफोन के जरिए लिया था। पूछताछ किया था। मैंने उनको सारी बातें बतायी थी।

21- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी हरेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०-3) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने कथन किया है कि मेरे इस समय एक लड़का व एक लड़की है। घटना के समय मैं आन्ध्र प्रदेश में था। मुझे घटना की जानकारी टेलीफोन द्वारा प्राप्त हुयी थी।

22- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी हरेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०–3) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आगे कथन किया है कि मेरी लड़की का नाम अस्मिता उर्फ नेहा है। शादी की बातचीत अरूण सिंह की मां उषा से पहले हुई थी। उषा के घर से मेरा बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। उषा का जीजा मेरे गांव में रहता है और इसी के माध्यम से अरूण सिंह की मां उषा के पास हम लोग गये थे। राजन को लेकर मैं शादी के विषय में अरूण सिंह की मां उषा सिंह के पास गया था। शादी तय करने मैं नहीं गया था, बल्कि मेरा लड़का गया था। दो बार जाने में शादी तय हुआ था। जब शादी तय हो गयी तो मैं भी उषा के घर गया। जांच पड़ताल लड़का वगैरह देखने। सब कुछ ठीक पाने के बाद मैंने अपनी लड़की अस्मिता उर्फ नेहा की शादी अरूण सिंह से कर दी। बरछा जब मेरी लड़की का चढ़ा तो मैं नहीं आया था। फोन से घर वालों ने बताया कि राजी–खुशी से बरछा चढ़ गया। बरछा कब हुआ किस सन् में हुआ, मैं नहीं बता सकता। कितने दिन के बाद मेरी लड़की का तिलक अरूण सिंह के घर गया था, मैं नहीं बता सकता। तिलक भी राजी–खुशी से चढ़ गयी। कोई दिक्कत नहीं हुई। हम दोनों परिवार तिलक के समय खुश थे।

पंडित को बुलाकर हम दोनों पक्ष शादी का मुहुर्त निकलवा लिये और एक दूसरे को सूचना दे दिये। मेरी लड़की की शादी हो गयी और शादी में कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ और पांच दिन बाद विदाई हुई और जो तय था। शादी में उसके अलावा और कुछ नहीं मांगा। शादी राजी–खुशी से बारात विदा हो गयी और चार–पांच दिन के बाद लड़का आया। दिनांक 29.04.2019 को मेरे लड़की का हस्बैण्ड आया और मेरी लड़की को विदा कराके ले गया। मैं शादी में आया था और 10 तारीख को मैं चला गया। 10 मई को हम गये। मैं अकेला गया था। शादी के तुरन्त बाद मैं अकेले गया था। वेस्ट गोदावरी जिला आन्ध्र प्रदेश में मैं काम करता हूं। रक्षाबन्धन में मैं आया था और दस-बारह दिन घर पर था और उसके बाद मैं चला गया और नवम्बर में मेरी बीबी मेरे पास आयी। बीबी जब मेरे पास आयी तो घर का हालचाल बताई। सब ठीक था। मेरी बीबी जब मेरे पास नवम्बर 2019 में गई तो जून 2020 तक मेरे पास रही। मैं करीब एक वर्ष के बाद अपने घर पर आया था। दस-ग्यारह दिन घर पर रहे फिर वापस मैं अपने काम पर चला गया। मेरी बीबी घर पर थी, घर देख रही थी। लड़की के मरने की सूचना पाने के बाद भी मैं घर पर नहीं आ पाया, क्योंकि कोरोना था। गाड़ी बन्द थी। लड़की की मरने की सूचना पाने के बाद मैं पांच महीने बाद अगस्त में आया था। यह बात सत्य है कि जब मेरी लड़की मरी थी तो मैं घर पर नहीं था, बल्कि आन्ध्र प्रदेश में अपनी नौकरी पर था। यह भी सत्य है कि मरने की सूचना पाने के बाद अगस्त में मैं घर आया था। घटना के बारे में मुझको बीबी, लड़का, भाई सभी ने टेलीफोन से बताया था। घटना के समय और लड़की के मरने से पहले बीबी मेरे पास थी। लड़की के मरने की सूचना टेलीफोन द्वारा मेरे लड़के ने दिया था तब मुझे जानकारी हुई थी।

23- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षी हरेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०-3) से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने आगे कथन किया है कि अस्मिता की शादी के 12 दिन के बाद मैं अपनी नौकरी पर चला गया। फिर कहा 10-15 दिन बाद मैं गया था। लड़की के गौना होने के बाद चार दिन के बाद मैं चौथ लेकर अपनी लड़की के घर गया था और चौथ देकर आने के बाद चार-पांच दिन बाद मैं चला गया था। मैं मई में अपनी नौकरी पर आन्ध्र प्रदेश अकेला आया था। फिर अगस्त 2019 में आया था और फिर नवम्बर में मैं अकेला आन्ध्र प्रदेश चला गया था। फिर मेरी पत्नी नवम्बर में ही अपनी सहेली के साथ आन्ध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक मैं आयी। जब मैं चौथ लेकर गया था तब मेरी लड़की ने मुझसे कोई शिकायत नहीं किया था। अगस्त रक्षा बन्धन में मेरी लड़की मेरे घर आयी थी। वह रक्षाबन्धन के दिन ही आयी थी और रक्षाबन्धन के दो दिन बाद अपने ससुराल चली गई। लड़की को उसका देवर बुलाने आया था। रक्षाबन्धन में लड़की ने अपने ससुराल में जो हुआ वह बताया था। रक्षाबन्धन के बाद मैं अपनी लड़की के घर गया था और पैसे के बारे में समझा-बुझा के आए। फिर यह घटना अप्रैल में हो गयी। उस समय मैं अपनी नौकरी पर था। घटना सुनने के बाद मैं पांच महीना बाद मैं घर आया। मेरे लड़के ने मुझको सारी घटना बताया। फिर मैं अपनी नौकरी पर चला गया। अरूण बाहर नौकरी करता था और कभी-कभी छुट्टी पर घर आता था। मैं अपनी लड़की की दवा गौना व शादी के पहले से मानसिक रोग विशेषज्ञ से नहीं कराता था। जब उसकी डेथ हुई तो पता चला कि वह तीन माह से गर्भवती थी। यह कहना गलत है कि अरूण नौकरी पर रहता था और मेरी लड़की घर पर रहती थी और नाजायज गर्भ होने के कारण कि उसकी बेइज्जती न हो उसने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। यह भी कहना गलत है कि मेरी लड़की पहले से

मानसिक रोग से ग्रसित थी। इसलिए उसने रस्सी का फंदा लगाकर अवसाद में जाने के कारण आत्महत्या कर ली।

24- अभियोजन **साक्षी पी०डब्लू०-4 डा० सुनील कुमार** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 21.04.2020 को मैं न्यू पी०एच०सी० पतरा पर चिकित्साधिकारी के पद पर नियुक्त था। उस दिन मेरी ड्यूटी बी०आर०डी० मेडिकल कालेज में स्थित पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम हेतु लगी थी। उस दिन करीब 03:30 पी०एम० पर 9 एन्क्लोजर के साथ कांस्टेबल अदालत थाना- गुलरिहा द्वारा सीलबंद दशा में मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह पत्नी अरूण सिंह निवासी- बजहा, थाना- गुलरिहा, जिला- गोरखपुर उम्र लगभग 26 वर्ष के शव का पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। मैंने सील को वेरिफाई किया, सीलबंद पाया गया। उसके बाद सील खोलवाकर लाश की शिनाख्त पश्चात पोस्टमार्टम प्रारम्भ किया। उसकी कद काठी औसत थी। शव को उलट-पलट कर देखा तो कही गहरी चोट नहीं थी। गले पर एक मार्क के अलावा कही गहरी चोट नहीं थी। All limbs में राईगर मार्टिस मौजूद था। Nail Polished था। Eyes closed था। Mouth half open था। नाक से झाग आ रहा था। नाक में झाग मौजूद था। **Injury mark**- लिगेचर मार्क Present on front of neck of size 18cm x 1cm, 5cm below right ear and 4 cm below chin and 2cm below left ear. On cutting लिगेचर Underneath, echymosis present, on opening trachea, congested and hyoid bone intact.

आंतरिक परीक्षणः- मस्तिष्क कन्जेस्टेड था, हायड बोन इन्टेक्ट, लंग्स कन्जेस्टेड, efecited organs में uterus gravid with fetus of about three months मृत्यु का सम्भावित समय about 1 day. मृत्यु का कारणः- Asphyxia due to antimortum injury. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया। शामिल मिसिल कागज संख्या- 14क पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर **प्रदर्श क-3** डाला गया।

25- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी सुनील कुमार (पी०डब्लू०-4) ने कथन किया है कि शव के साथ मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी पोस्टमार्टम करने हेतु प्रपत्र, पंचनामा, थाने द्वारा जारी पत्र, पुलिस प्रपत्र संख्या- 33 ,पुलिस फार्म संख्या- 13, फोटोनाश, पुलिस फार्म संख्या- 379 और एक पत्र जिस पर सील लगा होता है उस सील को हम लोग लाश के सील बंद कपड़े पर अंकित सील से मिलान कराते है। पोस्टमार्टम हेतु लाश मुझे 03:30 पी०एम० पर मिली। दिनांक 21.04.2020 को मैंने लगभग 20 मिनट तक पोस्टमार्टम किया। शव पर लिगेचर मार्क के अलावा और कोई चोट के निशान नहीं थे। यह आत्महत्या का भी केस हो सकता है। मृतका के मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिन का है। मृतक के शव में राईगर मार्टिस लगभग छः घण्टे बाद आना शुरू होता है और लगभग 24 घण्टे बाद खत्म हो जाता है।

26- अभियोजन **साक्षी पी०डब्लू०-5 रचना मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक सी०बी०सी०आई०डी०** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 21.04.2020 को मैं क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पद पर नियुक्त थी। मुझे उस दिन मुकदमा अपराध संख्या- 192/2020 धारा- 498A,304B,323,506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट थाना गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर बनाम अरूण सिंह सहित तीन नफर अन्य अभियुक्त के मुकदमे की विवेचना नकल चिक, नकल रपट के साथ जरिए डाक मुझे प्राप्त हुआ। मैंने विवेचना ग्रहण करके

उस दिन केस डायरी का पर्चा नम्बर-1 किता किया। जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट व नकल रपट का अवलोकन लेखक एफ०आई०आर० व हे० कां० विरेन्द्र मिश्रा का बयान, बयान वादी शशि प्रताप सिंह का बयान अंकित कर वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा-नजरी तैयार कर उसका सार केस डायरी में अंकित किया।

27- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-5 रचना मिश्रा ने मुख्य परीक्षा में आगे कथन किया है कि नक्शा-नजरी शामिल मिसिल कागज संख्या- 7क नक्शा-नजरी को देखकर साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर **प्रदर्श क-4** डाला गया। पर्चा नम्बर- 2 दिनांक 23.04.2020 को मेरे द्वारा किता किया गया। जिसमें अभियुक्त अरूण की गिरफ्तारी रपट का अवलोकन व अभियुक्त का बयान मेरे द्वारा अंकित किया गया है। दिनांक 25.04.2020 को केस डायरी का पर्चा नम्बर- 3 किता किया गया। जिसमें मृतका अस्मिता सिंह के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन प्रति का अवलोकन किया व मृतका की शादी के कार्ड का अवलोकन किया। दिनांक 30.04.2020 को मेरे द्वारा केस डायरी का पर्चा नम्बर- 4 किता किया गया। जिसमें अभियुक्त उषा सिंह की गिरफ्तारी की नकल रपट का अवलोकन किया तथा अभियुक्ता का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया। दिनांक 01.05.2020 को पर्चा नम्बर 5 मेरे द्वारा किता किया गया। जिसमें मूल पंचायतनामा व मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्मिता सिंह का अवलोकन किया तथा पंचायतनामा के गवाहान शशि प्रताप सिंह, शैलेन्द्र सिंह, सुनील सिंह का बयान अंकित किया गया तथा मृतका के पिता हरेन्द्र सिंह व माता श्रीमती कृष्णा सिंह का बयान जरिए दूरभाष लेकर बयान केस डायरी में अंकित किया गया। दिनांक 16.05.2020 केस डायरी का पर्चा नम्बर मेरे द्वारा किता किया गया। जिसमें पंचायतनामा के गवाहान, हरिश्चन्द्र सिंह व धर्मदेव सिंह का बयान अंकित किया गया तथा नामित अभियुक्त अजीत सिंह के सम्बन्ध में उसके आफिस के परिचय पत्र मकान मालिक द्वारा जारी मकान प्रमाण पत्र तथा उसके वेतन प्रपत्र (आन लाईन) का अवलोकन कर उसका सार केस डायरी में अंकन किया। उसी पर्चे में मृतका की शादी कराने वाले पंडित शोमनाथ शुक्ला व नाई विकास शर्मा, सी०एम० टोयरा एजेन्सी गीड़ा प्रशान्त रंजन शुक्ला का बयान लिया तथा देव नरायण सिंह (अजीत सिंह) के मकान मालिक का बयान लेकर केस डायरी में उसका अंकन किया गया। दिनांक 18.05.2020को मेरे द्वारा पर्चा नम्बर 7 में किता किया गया। जिसमें स्वतंत्र साक्षीगण नज्जु, गया सिंह, सुरेन्द्र सिंह व रणजीत सिंह का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया गया। तमामी विवेचना उक्त पर्चे में नामित अभियुक्त अजीत सिंह की नामजदगी गलत पायी गयी, अजीत सिंह का बयान लेकर अंकित किया गया तथा उन सब का उल्लेख केस डायरी में किया गया। दिनांक 21.05.2020 को मेरे द्वारा पर्चा नम्बर 8 किता किया गया। जिसमें पंचायतनामा कराने वाले नायब तहसीलदार सदर राधेश्याम गुप्ता व मृतका का पोस्टमार्टम करने वाले डा० सुनील कुमार का बयान लेकर केस डायरी में अंकित किया गया। अब तक की तमामी विवेचना बयान वादी बयान गवाहनात, अवलोकन पंचनामा, अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य दीगर साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण अरूण सिंह पुत्र मोहन सिंह तथा उषा सिंह पत्नी मोहन सिंह निवासीगण ग्राम- बजहा, थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर के विरूद्ध जुर्म धारा- 498A,304B,323,506 भा०दं०सं० व 3/4 डी०पी०एक्ट का अपराध बखूबी प्रमाणित होने पर आरोप पत्र प्रेषित किया और इन सब का उल्लेख केस डायरी में किया।

आरोप पत्र शामिल मिसिल कागज संख्या- 3क/1 ता 3क/6 को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर **प्रदर्श क-5** डाला गया।

28- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी रचना मिश्रा (पी०डब्लू०-5) ने कथन किया है कि मृतका के माता व पिता का बयान मैंने इसलिए नहीं लिया था। वो लोग हैदराबाद में थे। जरिए दूरभाष बयान लिया था। मैंने किस मोबाइल नम्बर से मैंने मृतका के पिता को माता से बात किया था व मोबाइल नम्बर का केस डायरी में मेंशन नहीं किया है और उन्होंने किस मोबाइल नम्बर से जबाव दिया। वह भी मैंने केस डायरी में मेन्शन नहीं किया है।

29- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी रचना मिश्रा (पी०डब्लू०-5) ने आगे कथन किया है कि यह मुकदमा मेरे थाने पर 20.04.2020 को 18:57 पर दर्ज हुआ था। वादी शशि प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा शशि प्रताप सिंह एडवोकेट ने दर्ज कराया था। मैं मुकदमा दर्ज होने के दूसरे दिन 21.04.2020 को मैं घटनास्थल पर गयी थी। जी०डी० में हम लोगों की रवानगी नहीं हुयी थी। राजपत्रित अधिकारी की रवानगी नहीं हुई थी। 20 तारीख को घटनास्थल पर मैं नहीं गयी थी, बल्कि 21 तारीख को मैं घटनास्थल पर गयी थी। मेरी जानकारी में नहीं है कि 20 तारीख को मातहत अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचा था। पंचनामा होने तक मैं घटनास्थल पर नहीं गयी थी। पंचनामा 21.04.2020 को मैं घटनास्थल पर नहीं थी। पंचनामा मैंने जब मुझे इन्वेस्टिगेशन (विवेचना) के दौरान पंचनामा का मैंने बारीकी से अवलोकन किया था। पंचनामा में शशि प्रताप सिंह, शैलेन्द्र सिंह, सुनील सिंह मृतका के परिजन है, जो मृतका के परिजन है। शशि प्रताप सिंह, शैलेन्द्र सिंह और हरिश्चन्द्र सिंह, सुनील सिंह चार लोग मृतका के पक्ष के और एक धर्मदेव सिंह अन्य पक्ष के थे। इन लोगों के समक्ष पंचनामा हुआ था। इन लोगों का बयान लिया गया था। उपरोक्त लोग बताया बयान दिया कि दिनांक "20.04.2020 समय 12:30 बजे पी०एम० लगभग बंद कमरे में गले में रस्सी से फंदा लगाकर पंखे के कुंडी पर लटकी पायी गयी। दोनों पक्ष मौके पर मौजूद थे।" पंचनामा के बाद घटनास्थल से लाश 20.04.2020 को 12:30 पर पोस्टमार्टम के लिये रवाना हुआ। पंचनामा के अवलोकन से गवाहों के बयान से यह बात आयी कि मृतका कमरे में पंखे की कुड़ी से कुंडी लगाकर खुदकुशी की थी। पंचनामा में कही कोई चोट उसके शरीर पर नहीं लगी थी। मृतका के गले पर चोट पायी गयी थी। पोस्टमार्टम में भी मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं थी। केवल एक गले में लिगेचर मार्क पाये गये थे। लिगेचर मार्क हैंगिग से आ सकते है। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पंचनामा से देखकर अंकित तथ्य की मृतका ने पंखे के कुंडी से लटकी पायी गयी। यह सब बयान पढ़ने के बाद मैंने घटनास्थल पर गयी। इस कार्यवाही के बाद मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो घटनास्थल उसके मकान के एक कमरे में मिला। मैंने जिस फंदे से जिससे लड़की लटकी हुई थी। वह फंदा बरामद नहीं की थी। मुझे कोई गवाह ने बताया नहीं था। न ही उपलब्ध कराया था। पुलिस रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 44 मेरे ऊपर भी लागू है। मैंने घटनास्थल पर पहुंचना और घटना स्थल से वापस होने तक मैंने क्या कार्यवाही किया। इस फाइल में उपलब्ध नहीं है। किसी गवाह का बयान कब लिया गया व टाइम अंकित नहीं है। पर्चों में समय का अंकन सी०सी०टी०एन०एस०कम्प्यूटर टाइम के अनुसार अंकित है। पंचनामा वगैरह का जिक्र जी०डी० में नहीं है और न ही इसके बावत कोई जी०डी० तैयार हुई है। घटनास्थल से मुझको चीज मुझे बरामद हुई थी और थाने द्वारा नहीं कोई चीज मुझे हैंड ओवर हुई थी।

विवेचना के दौरान मृतका के माता-पिता दोनों बाहर रहते है। आन्ध्र प्रदेश में मुझे पता चला। दौरान विवेचना मुझे इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि 19.04.2020 की रात में मृतका के साथ ससुराल के लोगों ने झगड़ा किया और उसे मारा-पीटा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने यह भी नहीं लिखा था कि मेरी बहन को दहेज के लिये मार डाला। 19.04.2020 की रात में उसके परिवार से मृतका के ससुराल में उसके साथ झगड़ा हुआ। मारपीट हुआ। ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आयी। वादी मुकदमा अगर अपने बयान में यह कहा हो कि मेरी बहन को मारा-पीटा गया, कोई साक्ष्य नहीं मिला, क्योंकि उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं मिली थी। न ही पंचनामा में मिली थी। इस बात की तस्करा उसके भाई ने एफ०आई०आर० और बयान में कहा कि अरूण सिंह ने तत्काल सूचना दिया कि तुम्हारी बहन आत्महत्या कर ली। अरूण सिंह बाहर नौकरी करता था कि नहीं उसका मैंने कोई तफ्तीश नहीं किया, लेकिन उस समय घर आया हुआ था। मैंने इसके बावत कोई तफ्तीश नहीं किया था कि अरूण कहा नौकरी करता है। मैंने अरूण का बयान लिया था। उन्होंने कहा कि मैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया था। उसने यह बयान मुझे नहीं दिया था कि मेरी बहन रक्षाबंधन में अस्मिता उर्फ नेहा मेरे घर पर आयी थी और 20-25 दिन तक रही थी और फिर वह मेरे घर 2020 में आयी थी और चार-पांच दिन रहकर चली गयी थी। यह बयान मुझको नहीं दी थी। शैलेन्द्र सिंह मृतका अस्मिता उर्फ नेहा का चाचा था। वह कहां था, मैं नहीं जानती। शशि ने बुलाया था। मृतका के ससुराल के घर के अगल-बगल मैंने किसी का बयान नहीं लिया था, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। स्थानीय लोग गांव के लोगों का बयान लिया था। मैंने सी०डी० नम्बर- 7 गवाह नज्जु से केवल यह सवाल किया था कि अजीत घटना के समय मौजूद था की नहीं, मैंने यह नहीं पूछा था कि मृतका अस्मिता उर्फ नेहा आत्महत्या की है या नहीं। उसके गांव के गवाह गया सिंह से मैंने पूछताछ किया था कि मृतका अस्मिता उर्फ नेहा की मृत्यु कैसे हुई तो उसने बताया कि उसकी मृत्यु फांसी लगाने से हुई थी।

30- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी रचना मिश्रा (पी०डब्लू०-5) ने आगे कथन किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने पढ़ा था। उसमें यह बात लिखी है। Utrus gravid with fetus of about three month। जिस समय वह मरी, उस समय उसके शरीर में तीन माह का गर्भ था। मैंने इस बावत नहीं पता था कि मुल्जिम अरूण Oman airline के विभाग से 27.06.2019 को लखनऊ से मस्कट के लिए उड़ा था। मस्कट पहुंचने के बाद 28.06.2019 को मस्कट से दोहा गया था। जो वार्डिंग पास मुझे दिखाया गया, वो अरूण से मुझे दिखाया नहीं था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दोहा कतर से वह पुनः दिल्ली 08.02.2020 को आया। सात माह कुछ दिन वह कतर में रहा। अरूण कुमार का पासपोर्ट 21.01.2013 से 20.01.2023 तक Valid था और अरूण इण्डिया से 27.06.2019 को गया था, इसलिए उसका पासपोर्ट Valid था और उसके पासपोर्ट पर 09.02.2020 को वह नई दिल्ली से लखनऊ के लिए चला, फिर अपने घर गया। मृतका का पोस्टमार्टम दिनांक 21.04.2020 को हुआ था। मृतका के पेट में बच्चा जनवरी माह के अंत में आया होगा। यह कहना गलत है कि दूसरे का बच्चा पेट में था, इसलिए वह Depression में जाकर आत्महत्या कर ली।

31- अभियोजन **साक्षी पी०डब्लू०-6 उ०नि० वीरेन्द्र मिश्रा** ने सशपथ बयान किया कि दिनांक 20.04.2020 को मैं थाना- गुलरिहा, जिला- गोरखपुर में बतौर कांस्टेबल मोहर्रिर के पद पर नियुक्त था। उस

दिन वादी मुकदमा शशि प्रताप सिंह एक लिखित तहरीर स्वयं दस्तखती लेकर थाने पर आए थे। उस तहरीर के आधार पर मैंने चिक रिपोर्ट स्वयं टाईप किया। चिक रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 192/2020, धारा- 498ए,304बी,323,506 भा०दं०सं० व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट का मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे की कायमी मैंने उसी दिन जी०डी० में दर्ज कराया। जी०डी० कायमी संख्या 39 जो पत्रावली में शामिल कागज संख्या 6क/3 है, साक्षी ने उसे देखकर कहा कि ये जी०डी० कायमी मैंने कम्प्यूटर पर दर्ज कर उसका प्रिन्ट आउट निकाला था। जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क-6** डाला गया। जिस पर थाने की मोहर लगी हुई है। मेरे द्वारा सर्वप्रथम जी०डी० कायमी दर्ज करने के बाद एफ०आई०आर० कंप्यूटर पर दर्ज किया गया और एफ०आई०आर० का प्रिन्ट आउट निकालकर उस पर थाना प्रभारी ने अपना हस्ताक्षर मेरे समक्ष ही बनाया था और मैंने थाने की मुहर लगायी थी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4क//1 ता 4क/2 जो एफ०आई०आर० है, साक्षी ने उसे देखकर बताया कि यह एफ०आई०आर० मैंने कम्प्यूटर पर दर्ज कर मैंने उसका प्रिन्ट आउट निकाला था। जिसे मैं तस्दीक करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क-7** डाला गया। इस मुकदमे के विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

32- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी उ०नि० वीरेन्द्र मिश्रा (पी०डब्लू०-6) ने कथन किया है कि बिना जी०डी० देखे मैं नहीं बता पाऊंगा कि उस दिन कितने संगीन अपराधों की सूचना दर्ज की गयी थी। वादी मुकदमा अकेले एफ०आई०आर० दर्ज कराने आया था। अगर किसी के साथ आया होता तो मैं नाम अवश्य दर्ज करता। यह कहना गलत है कि जिस समय एफ०आई०आर० लिखा जाना कहा जाता है, वह समय सही नहीं है। यह कहना गलत है कि एफ०आई०आर० एन्टी टाईम दर्ज की गयी है।

33- बचाव साक्षी अजीत सिंह (डी०डब्लू०-1) द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि इस केस के अभियुक्त मेरे सगे भाई हैं। उनकी शादी 23 अप्रैल 2019 को हुयी थी। विदाई 29.04.2019 को हुयी थी। वह जब विदा होकर आयी तो उन्हीं के द्वारा पता चला कि मैं गम्भीर बीमारी से पीड़ित हूं और मेरा दवा-इलाज मायके से ही चल रहा है। जब हमारे वहां आयी तबसे मरने तक उनका दवा इलाज हम लोगों द्वारा करवाया गया। वह उस बीमारी के कारण बहुत तनाव व डिप्रेशन में रह रही थी। वर्ष 2020 में मेरे भाभी के भाई का एक्सीडेन्ट हुआ था तो हमारे भाई साहब भाभी को लेकर ससुराल गये थे और भाभी को कुछ दिनों के लिए वही रोक दिए थे। 17.03.2021 को एक जमीन मेरी मां उषा सिंह के नाम से गोरखपुर में खरीदा गया था। 19.04.2020 को मेरी भाभी अपने मायके से मेरे ससुराल आयी। जब उन्हें इस जमीन को मेरी मां के नाम से खरीदने की जानकारी हुयी तो वह अवसाद में तो पहले भी थी। काफी गम्भीर रूप से अवसाद में चली गयी और कही की जमीन हमारे नाम से या अपने नाम से क्यों नहीं लिए, अपनी मां यानी मेरी सास के नाम से क्यों खरीदा गया। इस कारण तनाव व अवसाद में हो गयी और आत्महत्या कर लिया। पत्रावली में उनके बीमारी से संबंधित सारे चिकित्सीय प्रपत्र पहले से दाखिल हैं। बैनामे का कागज आज मैं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा न तो दहेज की मांग की जा रही थी और भाभी को प्रताड़ित ही किया जा रहा था।

34- अभियोजन द्वारा बचाव साक्षी अजीत सिंह (डी०डब्लू०-1) से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि मेरे भाई अरूण सिंह घटना के दो वर्ष पहले से मर्चेन्ट नेवी में काम करते थे। मेरे भाई मर्चेन्ट नेवी से 8 फरवरी 2020 को घर आये और उसके बाद फिर वह अपनी नौकरी में नहीं गये। मेरे पिता जी विदेश में दुबई में टेक्निशियन का काम करते है। वह करीब पिछले 20 वर्षों से काम कर रहे है। अभी भी मेरे पिता जी वहां पर है। मेरी भाभी अस्मिता सिंह मेरे वहां जब तक रही है। हम लोगों से मारपीट या अभद्र व्यवहार नहीं की है। यह कहना गलत है कि मेरी भाभी कभी अवसाद में रहती थी। यह भी कहना गलत है कि मेरे भाई व मेरी मां दहेज की मांग न पूरी होने के कारण मेरी भाभी की हत्या कर दी। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्त का सगा भाई अभियुक्ता का सगा भाई होने के कारण आज न्यायालय में सही बात न बताकर झूठी गवाही दे रही हूं।

35- बचाव साक्षी सोनमती (डी०डब्लू०-2) द्वारा न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि अरूण सिंह मेरे भतीजा है। उनकी शादी 2019 में हुई थी और गौना तीन दिन बाद हुआ था। अरूण की दुल्हन जब आई तो उसको हम लोगों ने देखा था। शरीर से बहुत कमजोर थी। उसके पहले से अंदरूनी बीमार थी, पीरियड की और उसका महीने में तीन-चार बार पीरियड आ जाता था। उसकी दवा उसकी मायके में हो रही थी। फिर जब वो ससुराल आई तब भी दवा चलती रही, उसके पति के द्वारा। बीमारी व कमजोरी की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई थी। स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वह चिन्तित रहती थी। उसके पति जहाज में कमा रहे थे और घर से बाहर रह रहे थे। जिस कारण वो बहुत परेशान रहती थी। जब उसके पति कमाकर आये तब वो अपने मायके थी। उसके पति ने अपने मां के नाम से जमीन खरीद दिया। जिससे उसकी औरत नाराज हो गई। जिसे लेकर अरूण की औरत घर में झगड़ा करने लगी कि मेरे पति के पैसे को परिवार वाले मिलकर सास के नाम से जमीन लिखा दिये। इसी बात को लेकर वह कई दिन तक खाना नहीं खाती थी और इस बात की गांठ बांधकर उसने आत्महत्या कर ली।

36- अभियोजन द्वारा बचाव साक्षी सोनमती (डी०डब्लू०-2) से प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि आज मैं कचहरी में गवाही देने अपने भतीजा अरूण के साथ आई हूं। गवाही क्या देना है, मुझे अरूण बताये, तब मैं गवाही दे रही हूं। मैं अरूण सिंह की बुआ हूं। मेरा ससुराल अरूण के घर से पांच या छः किमी दूर है। अरूण के शादी में हम आये थे। जब उसकी दुल्हन विदा होकर आ गई। उसके दो दिन बाद हम वापस गये। मुझे अंग्रेजी में किस महीने में शादी हुई थी, नहीं पता। बैशाख माह में शादी हुई थी। किस सन् में शादी हुई थी, नहीं पता। मैं अरूण की शादी का जो वर्ष लिखवाई हूं, वकील साहब के कहने पर लिखवाई हूं। मैं अपने घर से अरूण के घर उसके घरवालों के बुलाने पर आती थी। अरूण के पत्नी अस्मिता का दवा कराने मैं कभी नहीं गई थी। मैं जब भी अरूण के घर गई तो अस्मिता कभी भी मुझसे गाली गलौज या मारपीट नहीं करती थी। मेरी लड़की प्रियंका सिंह अरूण के शादी से पहले उसके घर पर रहती थी। वो वहां सबको खाना बनाती खिलाती थी। मेरी लड़की प्रियंका घटना के एक हफ्ता पहले मेरे घर आ गई थी। अरूण सिंह किस महीने व किस सन् में विदेश गये, मुझे नहीं मालूम। लेकिन शादी के दो-तीन साल पहले गये थे। शादी होने के एक माह बाद अरूण विदेश चले गये। फिर अरूण घटना के एक-डेढ़ महीना पहले अपने गांव आये। अरूण विदेश में कहां-कहां कमाने गये और कितना दिन रहे, मुझे नहीं मालूम। अरूण सिंह विदेश में एक साल में दो-तीन महीना कम था, तब तक थे। जो जमीन

अरूण के माता के नाम से खरीदी गई थी वो दोनों लोग (अरूण व उसके पिता) मिलकर खरीदे थे। वो जमीन कब खरीदी गई, नहीं पता। फिर कहा चैत में। मुझे नहीं पता जमीन किससे, कितने रूपये में खरीदे थे। कितना जमीन खरीदे थे, नहीं पता। जमीन कहा लिये है, नहीं मालूम। जमीन खरीदने के एक महीना पहले अरूण विदेश से आये थे। मैं अपनी लड़की को घटना के एक हफ्ता पहले घर पर काम के कारण बुला ली। अस्मिता की दवा उसके मायके में चलती थी। यह बात अस्मिता खुद मुझे बताई थी। जमीन खरीदने में कितना रूपया अरूण दिये व कितना इनके पिता दिये, मुझे नहीं मालूम। जमीन खरीदने की जानकारी मुझे भूमि पूजन के दिन हुई। भूमि पूजन में पूरा परिवार गया था, अस्मिता भी। भूमि पूजन के दौरान कोई झगड़ा नहीं हुआ। घर जाने के बाद हुआ था। जमीन के पूजन में मैं गई थी। मेडिकल कालेज के पूरब जमीन है, भूमि पूजन के बाद मैं सीधे अपने घर चली गई। यह कहना गलत है कि अपने भतीजे अरूण को बचाने के लिए एक मनगढ़न्त बात न्यायालय में बताई हूं।

37- मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

38- अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा शशिप्रताप सिंह की बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह की शादी माह अप्रैल 2019 में हिन्दू रीति-रिवाज के साथ अरुन सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद अभियुक्तगण किसी न किसी तौर पर रुपए की मांग करते रहते थे। दिनांक 19.04.2020 की रात में अभियुक्तगण ने झगड़ा किया था तथा मृतका को धमकी भी दिया था। दिनांक 20.04.2020 को उसकी बहन को अभियुक्तगण के द्वारा प्रताड़ना करके मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी।

39- अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा जिस समय मृतका की हत्या की गयी है उस समय मृतका गर्भवती थी। अभियुक्तगण द्वारा मृतका को उसके शिशु का जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से हत्या की गयी है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए तथ्य के सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। मृतका मुन्नी यादव की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है। ऐसी स्थिति में धारा 304बी भा०दं०सं० के अंतर्गत अभियोजन के द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है। तद्नुसार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करके दण्डित किया जाये।

40- अभियोजन द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं संदर्भित की गयी हैं–

(I) मुन्नवर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2010 (70) ACC 853] (सुप्रीम कोर्ट)

(II) गुड्डू पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2022 (120) ACC 243]

(III) तकदीर शमसुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [2012 (1) JIC 604 (SC)]

(IV) विद्या देवी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य [2004 (1) JIC 478 (SC)]

(V) शरद बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र [2012 (1) JIC 669 (SC)]

(VI) सतबीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2021 SAR (Cri.) 697 Supreme Court

(VII) गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2021 SAR (Cri) 753 Supreme Court

(VIII) मुश्तफा शाहदल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [2013 (80) ACC 617]

(IX) महाराष्ट्र राज्य बनाम राजेन्द्र एवं अन्य [2014 (86) ACC 623]

(X) बदाम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2018 (103) ACC 1]

(XI) धनज सिंह उर्फ शेरा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य [2004 (2) JIC 322 (SC)]

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का मेरे द्वारा ससम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

41- अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और न ही मृतका की किसी प्रकार मृत्यु कारित की गयी है।

42- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा न तो मृतका से और न ही उसके घरवालों से कभी कोई दहेज की मांग की गई है और न ही मृतका के साथ कोई क्रूरता की गई है न ही उसके साथ मारपीट की गई है और न ही उसे कभी दहेज के लिए प्रताड़ित ही किया गया है और न ही दहेज की मांग ही की गयी है।

43- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए तथ्य के साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभाष है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गयी है जैसा कि अभियोजन द्वारा कहा गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है। तद्नुसार अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

44- बचाव पक्ष द्वारा अपने तर्क के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं संदर्भित की गयी हैं-

(I) बैजनाथ एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2016) 11 SCR 764

(II) करन सिंह बनाम हरियाणा राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 1076/2014

(III) छोटेलाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2025 (1) JIC 950 (All)]

(IV) मेजर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 1145/2012

बचाव पक्ष द्वारा संदर्भित उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं का मेरे द्वारा सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया।

45- मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस को विस्तार से सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का परिशीलन किया।

46- इस सत्र प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होते हैं-

(I) क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका की शादी के बाद से उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व तक दहेज की मांग की गयी एवं उक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया?

(II) क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका की दहेज मृत्यु कारित की गई?

(III) क्या मृतका की मृत्यु विवाह के सात वर्ष की अवधि के भीतर हुई थी?

(IV) क्या मृतका की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई थी?

(V) क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतका को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गयी?

(VI) क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

(VII) क्या अभियुक्तगण द्वारा मृतका को शिशु का जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से हत्या कारित किया गया?

(VIII) क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में मृतका की गला दबाकर हत्या कारित की गई?

निष्कर्ष

47- सर्वप्रथम बचाव पक्ष की ओर से मामले में प्रथम तर्क यह उठाया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, क्योंकि वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क-1 के तहत यह स्वीकार किया गया है कि दिनांक 20.04.2020 को उसकी बहन के घर से इस दुनिया में न होने का समाचार प्राप्त हुआ, जबकि मामले की तहरीर समय 18:57 बजे थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर पर दर्ज करायी गयी। जबकि साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में भी मृत्यु की सूचना दिनांक 20.04.2020 को दोपहर में 12 बजे अस्मिता उर्फ नेहा सिंह के पति अरुण सिंह ने उसे फोन करके सूचना दिए जाने की बात बतायी है।

48- उक्त कथन के विपरीत अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है तथा उनके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने में कोई देरी नहीं की गयी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **मुन्नवर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2010 (70) ACC 853] (सुप्रीम कोर्ट)** में विश्वास व्यक्त किया गया है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विधिक सिद्धान्त दिया गया है कि- “Promptness of FIR is a clear reflection of the fact.”

49- पत्रावली पर संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-7 के अवलोकन से प्रकट है कि वादी मुकदमा को उसकी बहन की मृत्यु की सूचना दिनांक 20.04.2020 को प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 20.04.2020 को ही समय 18:57 बजे थाना- गुलरिहा, जिला- गोरखपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

कराई गई थी। बचाव पक्ष के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में विलम्ब कारित हुआ है। बचाव पक्ष के कथनानुसार घटना के बाद विधिक सलाह लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

50- आपराधिक विधि शास्त्र में प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और यह अपेक्षित है कि किसी भी संज्ञेय अपराध के संबंध में सर्वप्रथम उपलब्ध अवसर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई जाए। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने में हुआ विलम्ब जो युक्तियुक्त न हो, अभियोजन पक्ष को प्रभावित कर सकता है, परन्तु यह सामान्य नियम प्रत्येक स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में कारित विलम्ब स्वयमेव में अभियोजन के मामले को विपरीत रुप से प्रभावित नहीं करता है, बल्कि न्यायालय को विलम्ब का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाना सुसंगत होगा-

51- न्याय दृष्टान्त **मध्यप्रदेश राज्य बनाम चाकी लाल ए०आई०आर० 2019 एस०सी० 381** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के संबंध में यह उपधारित किया गया है कि- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने में कारित विलम्ब को सामान्यतः न्यायालय द्वारा संदेहपूर्ण नजरिये से देखा जाता है, क्योंकि कारित विलम्ब से अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा बनाए जाने की संभावना होती है, किन्तु जहां पर विलम्ब का उचित स्पष्टीकरण उपलब्ध हो, वहां मात्र इस आधार पर कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गई है, अभियोजन के मामले को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

52- विधि व्यवस्था **जितेन्द्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एस०सी०सी० 204** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि प्रतिपादित की गई है कि आपराधिक न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत है कि एफ०आई०आर० दर्ज करने में देरी सभी मामलों में घातक साबित नहीं हो सकती है, लेकिन किसी मामले की दी गई परिस्थितियों में, एफ०आई०आर० दर्ज करने में देरी उन कारकों में से एक हो सकती है जो अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता को खराब करती है। एफ०आई०आर० दर्ज करने में देरी पूरे अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती। न्यायालय को देरी के लिए स्पष्टीकरण मांगना होगा और प्रस्तुत संस्करण की सत्यता की जांच करनी होगी। यदि न्यायालय संतुष्ट है तो अभियोजन का मामला केवल इसी आधार पर विफल नहीं हो सकता।

53- इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **जयप्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य (2012) 4 एस०सी०सी० 379** में माननीय न्यायालय द्वारा यह विधि मत दिया गया है कि-

> Delay in FIR is not fatal but unexplained delay requires careful scruitiny. Extraorinary delay in lodging FIR raise grave doubt about the truthfulness of the allegations.

54- माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं एवं मामले के तथ्यों पर विचारित करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार मृतका की मृत्यु के संबंध में वादी मुकदमा शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) को घटना के दिन दोपहर में ही घटना की जानकारी हो गयी थी तथा जिसके पश्चात उसके द्वारा दिनांक

20.04.2020 को ही समय 18:57 बजे थाना- गुलरिहा पर एफ०आई०आर० दर्ज करा दी गयी थी। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा पी०डब्लू०-1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि "**दिनांक 19.04.2020 को रात में लगभग बारह बजे मेरी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह ने मेरे पास फोन करके रोते हुए मुझसे कहा कि मेरे पति अरुण सिंह, सास उषा सिंह व देवर अजीत सिंह यह सभी लोग दहेज की मांग करते हुए मुझसे झगड़ा किए हैं व मारपीट किए हैं कि ढाई लाख रुपए अपने घर से मंगा लो नहीं तो जान से मार देंगे। जिस पर मैंने अपनी बहन से सुबह उसके घर आने की बात कहा। दूसरे दिन सुबह दिनांक 20.04.2020 को मैं अपनी बहन के घर जाने के लिए गाड़ी खोज रहा था, लेकिन लाकडाउन होने के कारण कोई साधन व गाड़ी नहीं मिला। उसी दिन दोपहर में समय लगभग बारह बजे अस्मिता उर्फ नेहा सिंह का पति अरुण सिंह ने मुझे फोन करके सूचना दिया कि उसकी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह मर गयी है।**" ऐसी दशा में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को उसकी बहन को प्रताड़ित करने की जानकारी रात्रि में ही हो गयी थी तथा उसके कथनानुसार वह अपनी बहन के घर जाने को गाड़ी भी खोज रहा था तो ऐसे में बहन की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रुप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए था। इसके अलावा प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलम्ब का युक्तिसंगत कारण भी प्रदर्शित नहीं है जबकि पंचनामे में भी उक्त तथ्यों का समावेश नहीं है, परन्तु वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस प्रकार का विलम्ब कारित नहीं हुआ है जो अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता हो।

55- अभियोजन पक्ष को अपने विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करना होगा। अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा की छोटी बहन (मृतका) की शादी हिन्दू रीति-रिवाज से माह अप्रैल 2019 में अरुण सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद अभियुक्तगण आए दिन किसी न किसी तौर पर रुपए की मांग करते रहते थे। इसके लिए बहन के ससुराल वालों को समझाया-बुझाया भी गया था। दिनांक 19.04.2020 की रात में बहन के साथ उनके ससुराल के लोगों ने झगड़ा किया तथा उसे धमकी भी दिए। दिनांक 20.04.2020 को उसकी बहन के घर से उसके इस दुनिया में न होने का समाचार प्राप्त हुआ। अभियुक्तगण द्वारा उसकी बहन के साथ प्रताड़ना व मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गयी। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, गर्भस्थ शिशु की हत्या करने, दहेज की मांग करने एवं दहेज मृत्यु के आरोप विरचित किए गए।

56- अभियुक्तगण पर अधिरोपित उक्त आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्षीगण शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1), शैलेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०-2), हरेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०-3), डा० सुनील कुमार (पी०डब्लू०-4), रचना मिश्रा (पी०डब्लू०-5) एवं उ०नि० वीरेन्द्र मिश्रा (पी०डब्लू०-6) को परीक्षित कराया गया है।

57- हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण पर अधिरोपित आरोपों के निष्कर्ष पर पहुंचने के संबंध में सर्वप्रथम उपरोक्त अपराध से संबंधित विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा।

58- **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क प्रावधानित करती है कि-**

498क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना- जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “क्रूरता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है:-

(क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है; या

(ख) किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है।

59- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यू० सुवेथा बनाम राज्य (2009) 6 एस०सी०सी० 757** के वाद में धारा 498ए भा०दं०सं० के आवश्यक अवयवों को उद्धृत किया है, जो निम्नवत् हैं-

(I) महिला शादीशुदा होनी चाहिए।

(II) वह क्रूरता व प्रताड़ना के अधीन होनी चाहिए।

(III) ऐसी क्रूरता व प्रताड़ना उसके पति अथवा पति के रिश्तेदारों द्वारा की जानी चाहिए।

60- इसी प्रकार **आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एम० मधुसूदन राव (2008) 15 एस०सी०सी० 582** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 498ए भा०दं०सं० के संबंध में यह उदृत किया गया है कि- "क्रूरता मात्र अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह या तो गंभीर चोट पहुंचाने या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने या उसे या उसके रिश्तेदारों को गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने के इरादे से किया जाना चाहिए।"

61- धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानानुसार-

अभियुक्त पर लगे आरोप अंतर्गत धारा 3 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में उपरोक्त उल्लिखित धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अवयवों तथा उल्लिखित साक्ष्य के आधार पर विचार करें तो धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि-

1- इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात जो कोई भी दहेज देता है या लेता है, अथवा लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष की होगी और 15,000/- रुपए या ऐसे दहेज की मूल्य की रकम के, जो भी अधिक हो, हो सकने वाले जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, परन्तु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित किए गए यथोचित और विशेष कारणों से 5 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

2. उपधारा 1 की कोई बात निम्न पर या उनके संबंध में लागू नहीं होगी-

(क) विवाह के समय वधू को दी गई भेंट (इस निमित्त कोई मांग किए बिना) परन्तु ऐसी भेंटे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में प्रविष्ट की जाएगी।

(ख) विवाह के समय वर को दी गई भेंटे (इस निमित्त कोई मांग किए बिना) परन्तु ऐसी भेंटे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बनाई गई सूची में प्रविष्ट की जाएगी।

परन्तु जहां ऐसी भेंटे वधू द्वारा या उसकी ओर से या वधू के किसी संबंधी व्यक्ति द्वारा दी गई हों, ऐसी भेंटे रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उनका मूल्य उस व्यक्ति की, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटे दी गई हैं, वित्तीय हैसियत को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक नहीं है।

इस प्रकार धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दहेज लेने व देने के कृत्य को दण्डनीय बनाया गया है।

62- दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित दहेज की परिभाषा के अनुसार ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के संबंध में विचार किया जाए तो धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि-

यदि कोई व्यक्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः वर या वधू के माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों या पालक से दहेज मांगता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो 10,000/- रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

उक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से वर या वधू के माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों से दहेज की मांग करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा। इस प्रकार धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दहेज मांगने के कृत्य को दण्डनीय बनाया गया है।

धारा 2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान के अनुसार दहेज की मांग शादी के पूर्व, शादी के समय व शादी के पश्चात हो सकती है।

63- धारा- 323 भा०दं०सं० के अनुसार- उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

64- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अनुसार-

धारा 506 भा०दं०सं० के अपराध के संबंध में विचार किया जाए तो धारा 503 भा०दं०सं० के प्रावधान के अनुसार आपराधिक अभित्रास के लिए निम्न अवयवों को अभियोजन पक्ष की ओर से साबित होना आवश्यक है-

1- किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी देना-

(क) क्षति कारित करने की यह धमकी ऐसे व्यक्ति के शरीर, उसकी संपत्ति अथवा ख्याति के विपरीत, अथवा

(ख) ऐसे व्यक्ति से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, उसकी संपत्ति अथवा ख्याति के विरुद्ध दी गई हो।

2- यह धमकी इस आशय से दी गई हो, कि

(क) ऐसे व्यक्ति को संत्रास कारित किया जाए, या

(ख) ऐसे व्यक्ति से ऐसी धमकी के निष्पादन का परिहार करने के साधन स्वरुप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रुप से आबद्ध न हो, या

(ग) किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रुप से हकदार हो।

स्पष्ट है कि धारा 506 भा०दं०सं० के अपराध के गठन हेतु केवल जान से मारने की धमकी देने के संबंध में कथन किया जाना ही अपराध के अवयवों को साबित नहीं करता है, बल्कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस तथ्य को साबित करना आवश्यक है कि धमकी का अभित्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा और धमकी के परिणामस्वरुप अभित्रस्त व्यक्ति को किस प्रकार का संत्रास कारित हुआ। स्पष्ट है कि आपराधिक अभित्रास के अपराध के संबंध में धमकी के प्रभाव का अभित्रस्त व्यक्ति के मस्तिष्क पर निरुपण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

65- धारा- 315 भारतीय दण्ड संहिता प्रावधानित करती है कि- जो कोई किसी शिशु के जन्म से पूर्व कोई कार्य इस आशय से करेगा कि उस शिशु का जीवित पैदा होना तद्द्वारा रोका जाए या जन्म के पश्चात तद्द्वारा उसकी मृत्यु कारित हो जाए, और ऐसे कार्य से उस शिशु का जीवित पैदा होना रोकेगा, या उसके जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित कर देगा, यदि वह कार्य माता के जीवन को बचाने के प्रयोजन के सद्भावपूर्वक नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

66- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 यह प्रावधानित करती है कि- जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

67- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी के अपराध के सम्बन्ध में विचार करें तो इसके प्रावधानानुसार-

1. जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में, उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

2. जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

68- धारा 304बी भा०दं०सं० के अंतर्गत 'दहेज मृत्यु' के अपराध के आवश्यक तथ्यों की विवेचना करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मेजर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2015) 5 एस०सी०सी० 201** और **पंचानंद मण्डल बनाम स्टेट आफ झारखण्ड (2013) 9 एस०सी०सी० 800** के मामले में विनिश्चित किया है कि इस अपराध के लिए निम्न तथ्यों का होना आवश्यक है-

I- महिला की मृत्यु जल जाने या शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में हुई हो।

II- ऐसी मृत्यु मृतका के विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो।

III- मृतका को उसके पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया हो।

IV- ऐसी प्रताड़ना दहेज की मांग को लेकर की जा रही हो।

V- ऐसी क्रूरता या प्रपीड़न महिला के साथ उसकी मृत्यु से कुछ पूर्व (soon before her death) किया गया हो।

69- इसी स्तर पर **धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम** का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है जिसके अंतर्गत प्रावधान है कि, “जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।"

उपरोक्त धारा 113ख के स्पष्टीकरण के अनुसार उपरोक्त धारा के प्रयोजन हेतु दहेज मृत्यु का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी में है।

70- माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दुर्गा प्रसाद एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2010 (9) SCC 73** में अवधारित किया है कि धारा 113ख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा उक्त स्थिति में की जा सकती है जब कि अभियोजन द्वारा धारा 304बी भा०दं०सं० के समस्त तथ्य सिद्ध किए गए हैं तथा अभियोजन द्वारा स्वाभाविक या दुर्घटनावश मृत्यु की संभावना का खण्डन किया गया है जिससे की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिक्षेत्र के भीतर आती है।

71- हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका की मृत्यु कारित की गयी है अथवा मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए चिकित्सीय साक्षी डा० सुनील कुमार (पी०डब्लू०-4) द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया

गया है कि उसके द्वारा मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया गया था। मृतका औसत कद-काठी की थी। शव को उलट-पलट कर देखा तो कहीं गहरी चोट नहीं थी। गले पर एक मार्क के अलावा कहीं गहरी चोट नहीं थी। ऑल लिम्ब में राईगर मार्टिस मौजूद था। आंख बन्द थी। मुंह आधा खुला था। नाक से झाग आ रहा था। नाक में झाग मौजूद था। गले पर सामने की तरफ लिगेचर मार्क था, जो गर्दन पर सामने 18X1 सेमी०, बांए कान से 2 सेमी० नीचे, ठुड्डी से 4 सेमी० नीचे तथा दाहिने कान से 5 सेमी० नीचे था। लिगेचर को काटने पर इकाईमोसिस मौजूद था। ट्रैकिया कन्जेस्टेड तथा हायड बोन इन्टेक्ट था। मृतका के गर्भाशय में लगभग तीन माह का भ्रूण था। मृतका की मृत्यु का संभावित समय लगभग एक दिन का था। मृत्यु का कारण Asphyxia due to Antimortum Injury था।

72- बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा किए जाने पर उक्त साक्षी ने कथन किया है कि-

> "दिनांक 21.04.2020 को मैंने लगभग 20 मिनट तक पोस्टमार्टम किया। शव पर लिगेचर मार्क के अलावा और कोई चोट के निशान नहीं थे। यह आत्महत्या का भी केस हो सकता है। मृतका के मृत्यु का संभावित समय लगभग एक दिन का है। मृतक के शव में राईगर मार्टिस लगभग छः घण्टे बाद आना शुरु होता है और लगभग 24 घण्टे बाद खत्म हो जाता है।"

73- मृतका के पंचायतनामा प्रदर्श क-2 में उल्लिखित विवरण के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं है। गले पर दोनों तरफ काला रगड़, नाक व मुंह से झाग होने का तथ्य अंकित है। इसके अतिरिक्त राय पंचान में सभी पंचानों से मृतका की मृत्यु के संबंध में अलग-अलग बात की गयी तो सभी ने एक राय होकर बताया कि दिनांक 20.04.2020 समय 12:30 बजे पी०एम० लगभग **बन्द कमरे में गले में रस्सी से फन्दा लगाकर पंखे की कुण्डी पर लटकी पायी गयी।** ससुराल पक्ष ने बताया दोनों पक्ष मौके पर मौजूद हैं। मायका पक्ष ने बताया कि शादी के समय से ही बार-बार दहेज को लेकर मारना-पीटना व जान से मारने की धमकी व पंखे से लटकाकर भी मारने की धमकी दिया करते थे। मृतका प्रताड़ना की बात बार-बार मायका पक्ष को बताया करती थी। मौके पर दोनों पक्ष मौजूद हैं। शादी हुए एक वर्ष व उम्र 26 वर्ष था। पोस्टमार्टम करा दिया जाए।

74- मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञ साक्षी डा० सुनील कुमार की प्रतिपरीक्षा का सूक्ष्मता से अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि साक्षी डाक्टर द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में महत्वपूर्ण बातें बतायी गयी हैं। साक्षी का यह कहना कि मृतका के शव पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई चोट के निशान नहीं थे। यह आत्महत्या का केस भी हो सकता है। डाक्टर द्वारा अपने बयान में मृतका की मृत्यु के संबंध में पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शव पर पाए गए लक्षणों के आधार पर मृतका की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होने के संबंध में भी संभावना व्यक्त की गयी है। जबकि पंचनामा प्रदर्श क-2 के अनुसार मृतका बन्द कमरे में गले में रस्सी से फन्दा लगाकर पंखे की कुण्डी पर लटकी पायी गयी।

75- विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्य के संबंध में आपराधिक विचारण का स्थापित सिद्धान्त है कि सामान्यतः न्यायालय द्वारा विशेषज्ञ साक्षियों को स्वीकार्यता की भावना के साथ देखा जाता है, किन्तु यह भी उतना ही

सत्य है कि न्यायालय विशेषज्ञों की रिपोर्ट से कदापि निर्देशित नहीं होती हैं, विशेषकर जब ऐसी रिपोर्टें अप्रभावी एवं अस्थिर हों। विशेषज्ञ की राय का मुख्य उद्देश्य अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय की सहायता करना है, किन्तु ऐसी रिपोर्ट स्वयं अपने आप में निर्णायक नहीं होती है। न्यायालय द्वारा ऐसी रिपोर्ट का विश्लेषण कर अभिलेखों पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के साथ समग्र रुप से विचारित कर अपनी राय बनाई जाएगी कि क्या ऐसी रिपोर्ट विश्वसनीय है अथवा नहीं। अतः मृतका की मृत्यु के कारण के संबंध में अंतिम निष्कर्ष प्राप्त करने से पूर्व न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी थी अथवा उसका गला दबाकर/ घोंटकर उसकी मृत्यु कारित की गयी थी। इस संबंध में सुस्थापित चिकित्सीय सिद्धान्तों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा।

76- Modi’s Medical Jurisprudence and Toxicology के 23वें संस्करण में Hanging, Strangulation व Throttling को निम्नवत् परिभाषित किया गया है- “Hanging is a form of death, produced by suspending the body with a ligature round the neck, the constricting force being the weight of the body, or a part of the body weight. In other words, the hanging is the ligature compression of the neck by the weight of one’s body due to suspension.”

“Strangulation is defined as the compression of the neck by a force other than hanging.” तथा Throttling को Strangulation के एक प्रकार के रुप में निम्नवत उद्धरित किया गया है- “Throttling (manual strangulation- compressing with hand)”

77- डा० जे०एस०पी० मोदी द्वारा उद्धरित उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि Throttling, Strangulation का ही एक प्रकार है, जो हाथ से गला दबाने पर कारित होता है। अतएव Throttling अथवा Strangulation से कारित मृत्यु की दशा में मृतक के शरीर पर पाए जाने वाले आंतरिक एवं बाह्य लक्षण समान प्रकृति के ही होते हैं। Modi’s Medical Jurisprudence and Toxicology में अभिलिखित चिकित्सीय सिद्धान्तों के अनुसार स्ट्रेन्गुलेशन अधिकांशतः मानव वध के मामलों में पाया जाता है। किसी व्यक्ति की स्ट्रेन्गुलेशन से मृत्यु कारित होने की दशा में मृतक के होंठ नीले रंग के तथा चेहरा, मस्तिष्क व शरीर के आंतरिक अंग यथा फेफड़े, मूत्रवाहिनियां इत्यादि कन्जेस्टेड अवस्था (Congested) में पाए जाते हैं। हृदय आधा भरा हुआ पाया जाता है। श्वसावरोध (Asphyxia) के बाह्य लक्षण भलीभांति दर्शित होते हैं। मृतक के मुंह, नाक व कान से खून निकल सकता है। सामान्यतः मृतक के चेहरे, गर्दन व शरीर के अन्य भागों पर नाखून के निशान, खरोंच आदि पाए जाते हैं। समानान्तर अथवा तिर्यक लिगेचर मार्क गले के चारों तरफ सतत अवस्था में पाया जाता है। लिगेचर मार्क के किनारे पर सामान्यतः खरोंच व इकाईमोसिस पायी जाती है एवं गर्दन की मांसपेशियों में चोट होती है। लैरिंक्स ट्रैकिया व हायड बोन का टूटना प्रायः पाया जाता है। सर्वाईकल वर्टिब्रा का टूटना विरले ही पाया जाता है।

78- स्ट्रेन्गुलेशन एवं हैंगिंग के मामलों में शव पर पाए जाने वाले लक्षणों की व्याख्या हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित निम्न विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया जा रहा है-

(I) रविराला लक्ष्मइयां बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य (2013) 9 एस०सी०सी० पेज 283

(II) जावेद अब्दुल रज्जाक शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 10 एस०सी०सी० 778

79- माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **रविराला लक्षमइयां बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य (2013) 9 एस०सी०सी० पेज 283** का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हैंगिंग व स्ट्रेन्गुलेशन (Strangulation) के मामले की विस्तृत व्याख्या की गई है तथा शरीर पर पाए जाने वाले निशानों व लक्षणों की विस्तृत व्याख्या की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मोदी मेडिकल जूरिस प्रूडेन्स में वर्णित चिकित्सीय सिद्धान्तों एवं अवधारणाओं का अवलोकन कर यह अवधारित किया गया है कि हैंगिग/ फांसी के मामलों में लैरिक्स और ट्रैकिया का टूटना दुर्लभ है और वह न्यायिक फांसी के मामलों में पायी जाती है जबकि स्ट्रेन्गुलेशन के मामले में प्रायः लैरिक्स और ट्रैकिया का टूटना तथा हायड बोन का टूटना भी पाया जाता है।

80- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **जावेद अब्दुल रज्जाक शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 10 एस०सी०सी० 778** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मोदी मेडिकल ज्यूरिस प्रूडेन्स एण्ड टोक्सिकोलाजी के 25वें एडिशन का उल्लेख करते हुए पैरा-22 से पैरा-29 तक हैंगिंग एवं स्ट्रेन्गुलेशन के चिकित्सीय लक्षणों की भिन्नता की विस्तृत व्याख्या की गई है, जो निम्नवत् है-

> (I) In the light of the differences between hanging and strangulation, in a case of hanging, saliva will dribble down the mouth down on the chin and the chest whereas in a case of strangulation, there will be no such dribbling.
>
> (II) In the case of hanging, the neck will be stretched, elongated in fresh bodies while it is not so in the case of strangulation.
>
> (III) In the case of hanging, eyes used to close or used to remain in semi closed condition.
>
> (IV) Abrasion and Ecchymosses round about the edges of ligature mark is stated to be common in case of strangulation.
>
> (V) Injury to the muscles of the neck is stated to be common in case of strangulation whereas in a case of hanging injury to the muscles of the neck is rare.
>
> (VI) Fracture- dislocation of the cervical Vertebrae is common in judicial hanging whereas it is rare in the case of strangulation.
>
> (VII) It is no doubt true that in the case of hanging, fracuture of the larynx and trachea is very rare and that too it may be found in judicial hanging. On the other hand, fracture on the larynx, trachea and hyoidbone indicates strangulation.
>
> (VIII) In the case of throttling by hand, fracture of the larynx and trachea cannot occur. It occurs in strangulation.

81- उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्थाओं तथा सुस्थापित चिकित्सीय सिद्धान्तों के आलोक में विचार किए जाने पर यह प्रकट होता है कि हैंगिंग में शरीर में उत्पन्न बाह्य लक्षणों के अनुसार चेहरा प्रायः फीका (हल्के रंग का), शान्त होता है, किन्तु यदि शरीर लंबे समय तक लटका रहा हो तो यह फूला हुआ एवं

कन्जेस्टेड भी हो सकता है। मृतक की आंखें बन्द या आंशिक रुप से खुली रहती हैं। जीभ बाहर निकली हुई, दांत के बीच पकड़ी हुई अथवा प्रोट्यूडेड बाईटेन (Protuded bitten) पायी जाती है। प्रायः मुंह के कोने से ठोडी पर लार बहता हुआ पाया जाता है। जबकि स्ट्रेन्गुलेशन के मामले में चेहरा कन्जेस्टेड व साईनोज्ड, आंखें खुली हुई, होंठ नीले, मुंह व नाक से खून निकला हुआ, जीभ फूली हुई प्रोट्यूडेड व गहरे रंग की पायी जाती है।

82- हैंगिग के मामलों में मृतक के शरीर के आंतरिक लक्षणों में उदर भाग के अंग सामान्यतः कन्जेस्टेड होते हैं एवं मस्तिष्क प्रायः सामान्य होता है, किन्तु मृत्यु के प्रकार के आधार पर गहरा अथवा कन्जेस्टेड हो सकता है। जबकि स्ट्रेन्गुलेशन से कारित मृत्यु की दशा में फेफड़े प्रायः कन्जेस्टेड, हृदय का दायां भाग गहरे रक्त से भरा हुआ तथा बायां खाली होता है तथा जननांग कन्जेस्टेड पाए जाते हैं।

83- हस्तगत प्रकरण में चिकित्सीय साक्षी डा० सुनील कुमार (पी०डब्लू०-4) के कथन, पंचायतनामा प्रदर्श क-2 एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के समग्र अवलोकन से प्रकट होता है कि पोस्टमार्टम के समय आंख बन्द थी बव मुंह थोड़ा खुला हुआ था। मृतका के शव विच्छेदन के समय मृतका के संपूर्ण शरीर में राईगर मार्टिस मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के मुंह से लार तथा नाक, मुंह व कान से खून निकलने का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त साक्षी डा० सुनील कुमार (पी०डब्लू०-4) द्वारा प्रतिपरीक्षा में कहा गया है कि शव पर लिगेचर मार्क के अलावा कोई चोट के निशान नहीं थे। यह आत्महत्या का केस भी हो सकता है। मृतका की मृत्यु का संभावित समय लगभग 24 घण्टे बताया गया है।

84- हैंगिंग के मामलों में लिगेचर मार्क तिरछा और असतत गर्दन के ऊपरी भाग में ठोडी व लैरिंग्स के मध्य में पाया जाता है। लिगेचर मार्क के किनारों पर खरोंच व इकाईमोसिस तथा गले की मांसपेशियों में चोट पाया जाना विरलतम लक्षण है। जबकि स्ट्रेन्गुलेशन के मामलों में लिगेचर मार्क सामान्यतः क्षैतिज अथवा अनुप्रस्थ, सतत, गले के चारों ओर गले के निचले भाग में थायराइड के नीचे पाया जाता है। लिगेचर मार्क के किनारों पर खरोंच व इकाईमोसिस तथा गले की मांसपेशियों में चोट पाया जाना सामान्य लक्षण है। यदि मृत्यु कारित किए जाने में अंगुलियों का प्रयोग किया गया है तो उस दशा में अंगुलियों और अंगूठे के निशान श्वासनली के किसी ओर पाए जाते हैं। अंगूठे के निशान गर्दन के सामने वाले एक भाग में ऊंचे और चौड़े होते हैं, जबकि दूसरे भाग में अंगुलियों के निशान तिरछे और नीचे की ओर जाते हुए पाए जाते हैं। यद्यपि कभी-कभी ये निशान आपस में मिलकर गुच्छेनुमा निशान बना लेते हैं। जिस कारण इन्हें अलग-अलग विभेदित किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

85- इसके अतिरिक्त हैंगिंग के मामलों में गर्दन की मांसपेशियों पर चोट, लैंरिग्स एवं ट्रैकिया का टूटना विरले ही पाया जाता है, जबकि स्ट्रेन्गुलेशन के मामलों में लैरिंग्स, ट्रैकिया एवं हायड बोन का टूटना प्रायः पाया जाता है।

86- हस्तगत प्रकरण में मृतका के गले पर लिगेचर मार्क पाया गया जो 18X1 सेमी० था, जो बांए कान से 2 सेमी० नीचे, ठुड्डी से 4 सेमी० नीचे तथा दाहिने कान से 5 सेमी० नीचे था। यह चोट लिगेचर था। मृतका का ट्रैकिया कन्जेस्टेड तथा हायड बोन इन्टेक्ट था।

87- गला दबाने/घोंटने (Strangulation) से होने वाली मृत्यु के कारण मृतक की शारीरिक अवस्था में पाए जाने वाले लक्षण स्वयं फंदे पर लटककर आत्महत्या करने (हैंगिंग) के लक्षणों से भिन्न होते हैं। हस्तगत प्रकरण में मृतका के शव पर उपस्थित बाह्य लक्षण यथा आंख का बन्द होना, मृतका के चेहरे अथवा शरीर पर किसी प्रकार के चोट अथवा संघर्ष का निशान न पाया जाना, नाक व मुंह से खून निकलने का कोई निशान न पाया जाना यह दर्शित करता है कि मृतका की मृत्यु थ्रोटलिंग अथवा स्ट्रेन्गुलेशन से नहीं हुई है, बल्कि मृतका की मृत्यु का कारण हैंगिंग है। अर्थात मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी है। आत्महत्या का तथ्य इस बात से भी समर्थित है कि मृतका बन्द कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर पंखे की कुण्डी पर लटकी पायी गयी।

88- यह निष्कर्ष प्राप्त होने के उपरान्त कि मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी है, इस बिन्दु पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या मृतका की मृत्यु भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी की परिधि में आती है अथवा नहीं। इस संबंध में अभियोजन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतवीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2021 SAR (Cri) 697 सुप्रीम कोर्ट** में विश्वास व्यक्त किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी, मृत्यु को हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना के रुप में वर्गीकृत करने में कोई भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाती। इस प्रकार वर्गीकरण न करने का कारण यह है कि 'सामान्य परिस्थितियों के अलावा' होने वाली मृत्यु, कुछ मामलों में, हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना हो सकती है।

89- इसी प्रकार अभियोजन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओं में विश्वास व्यक्त करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दहेज हत्या के प्रत्येक मामले में माननीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए विधिमत के अनुसार मृत्यु से पूर्व की समय सीमा को किसी समयावधि के भीतर नहीं बांधा जाना चाहिए, के संबंध में विधिमत दिए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विद्या देवी एवं अन्य हरियाणा राज्य [2004 (1) JIC 478 (SC)]** में यह दिशाकारी निर्देश दिया गया है कि-

> “The expression ‘soon before’ is a relative term which requires to be construed in the context of specific circumstances of each case and no hard and fast rules of any universal application can be laid down by fixing any time limit.”

90- इसी प्रकार अभियोजन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **शरद बनाम महाराष्ट्र राज्य [2012 (1) JIC 669 (SC)]** में विश्वास व्यक्त किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में यह विधि मत दिया गया है कि उक्त मामले में मृतका अपनी मृत्यु से दो दिन पूर्व अपने मायके गयी थी तथा उसके द्वारा यह बताया गया था कि यदि दहेज की बकाया धनराशि नहीं दी गयी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों के अनुसार सही माना गया।

91- इसी क्रम में अभियोजन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **मुस्तफा शाहदल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य [2013 (80) ACC 617]** में विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्य रुप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा यह विधिमत दिया गया है कि मृत्यु से ठीक पूर्व की अवधि का

निर्धारण न्यायालय द्वारा विशिष्ट केस के तथ्य एवं परिस्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है, परन्तु उसे मृतका के साथ हुई क्रूरता से संबंधित होना चाहिए।

92- अभियोजन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **स्टेट आफ महाराष्ट्र बनाम राजेन्द्र एवं अन्य [2014 (86) ACC 623]** की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दहेज हत्या के मामले में अभियोजन को मात्र इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष साबित करना होता है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर उसके पति अथवा उसके नातेदारों द्वारा मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थिति में हुई हो तथा मृत्यु से पूर्व उसे दहेज की मांग के संबंध में प्रताड़ित किया गया हो। ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113बी की उपधारणा अभियुक्तगण के विरुद्ध उत्पन्न होती है तथा उन्हें इस संबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण देना चाहिए। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था के पैरा 25 में निम्नलिखित विधिमत दिया गया है-

> "25. The presumption under section 113-B of the Evidence Act with respect to dowry death can be raised only on the proof of the following four essential conditions:
>
> (1) The woman was subjected to cruelty or harassment,
>
> (2) by the husband or his relatives;
>
> (3) For or in connection with any demand for dowry;
>
> (4) soon before her death."

93- अभियोजन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **बदाम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2018 (103) ACC 1]** में विश्वास व्यक्त किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विधिमत दिया गया है कि-

> "26. Sections 113-B and 304-B IPC were inserted with a view to curb the increasing menace of dowry or dowry deaths. It was felt that since most of the dowry deaths occur within the house of accused. It is difficult to secure evidence to prove the dowry related deaths. Sec-tion 113-B is a presumption of law. It cast an obligation on the Court to raise a pre-sumption that the accused caused the dowry death, however, the said pre-sumption can be raised only if the prose-cution shows the following conditions:
>
> (i) the marriage was solemnized within 7 years;
>
> (ii) the woman was subjected to cruelty or harassment by her hus-band or his relatives;
>
> (iii) such cruelty or harassment was for or any connection with any demand for dowry;
>
> (iv) such cruelty or harassment was soon before her death."

94- उक्त के आधार पर अभियोजन द्वारा मृतका के साथ क्रूरता का व्यवहार किए जाने एवं मृत्यु से पूर्व उसके साथ दहेज हत्या हेतु आवश्यक अवयवों को साबित किए जाने के विषय में तर्क दिया गया है।

95- अभियोजन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2021 SAR (Cri) 753 Supreme Court** में विश्वास व्यक्त किया गया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विधिमत दिया गया है कि

> Dowry Death- Words "soon before"-Meaning of Words "soon before" cannot be interpreted to mean "immediately before"-Rather the prosecution has to show that there existed a "proximate and live link" between the cruelty and the consequential death of the victim.

96- उपरोक्त के विपरीत बचाव पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **बैजनाथ एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2016 11 S.C.R. 764]** में विश्वास व्यक्त किया गया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दहेज हत्या की उपधारणा हेतु अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना आवश्यक होता है। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह विधि मत दिया गया है कि-

> “If the prosecution fails to prove such fact by cogent, coherent and persuasive evidence, the person accused u/ss. 304-B, 498-A cannot be held guilty by taking refuge only of the presumption u/s.113-B to cover up the shortfall in proof On facts, prosecution failed to prove beyond reasonable doubt, cruelty or harassment to the deceased, for or in connection with any demand for dowry.”

97- उक्त के आधार पर बचाव पक्ष का यह तर्क है कि दहेज हत्या की उपधारणा अंतर्गत धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम को उत्पन्न करने हेतु मृत्यु से पूर्व दहेज हेतु प्रताड़ित किए जाने के तथ्य को साबित करना आवश्यक है। जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि मृतका को उसकी मृत्यु से पूर्व दहेज हेतु प्रताड़ना के तहत रखा गया हो।

98- बचाव पक्ष द्वारा **करन सिंह बनाम हरियाणा राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 1076/2014** में विश्वास व्यक्त करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए विधिमत पर विश्वास व्यक्त किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विधिमत दिया गया है कि-

> “The presumption under Section 113-B will apply when it is established that soon before her death, the woman has been subjected by the accused to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry. Therefore, even for attracting Section 113-B, the prosecution must establish that the deceased was subjected by the appellant to cruelty or harassment for or in connection with any demand of dowry soon before her death. Unless these facts are proved, the presumptions under Section 113-B of the Evidence Act cannot be invoked.”

99- बचाव पक्ष द्वारा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **छोटेलाल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2025 (1) JIC 950 (All)]** में विश्वास व्यक्त करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दहेज की मांग संबंधी कोई साक्ष्य न होने के आधार पर उन्हें दोषमुक्त किया जावे। बचाव पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय की उक्त विधि व्यवस्था में विश्वास व्यक्त किया जा रहा है, जबकि उक्त दोषमुक्ति का आदेश पारित करते

समय माननीय न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों के आधार पर जबकि विधि व्यवस्था वाले मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट कई दिन बाद लिखायी गयी तथा दहेज मृत्यु के तथ्य साबित न होने के आधार पर अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष का यह तर्क भी कि उनके विरुद्ध भी कोई दहेज मांगने एवं विवाहिता महिला को प्रताड़ित करने का साक्ष्य नहीं है, के विषय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्यों के आधार पर विचारित किया जावेगा।

100- हस्तगत मामले में जहां एक ओर अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज हत्या किए जाने के विषय में तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य न होने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। दहेज हत्या के मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं होता है, बल्कि मृतका के परिजन ही इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि मृतका को दहेज की मांग हेतु प्रताड़ना के अंतर्गत रखा गया तथा मृतका द्वारा उक्त तथ्यों को अपने परिजनों को बताया गया, जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज हत्या की उपधारणा की जाती है। स्पष्ट है कि किसी भी उपधारणा की उत्पत्ति से पूर्व अभियोजन का यह दायित्व है कि वह धारा 304बी भा०दं०सं० में वर्णित समस्त तत्वों को स्थापित करें। उसके उपरान्त भी उपधारणा उत्पन्न होती है।

101- हस्तगत प्रकरण में निम्नलिखित तत्व निर्विवाद हैं-

I- मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह की शादी अभियुक्त अरुण सिंह के साथ हुई थी।

II- मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर हो गई थी।

III- मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से भिन्न हुई।

102- अभियोजन को अब यह स्थापित करना है कि मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह के साथ मृत्यु से पूर्व क्रूरता अभियुक्तगण द्वारा की गई तथा उक्त क्रूरता दहेज की मांग को लेकर थी।

103- उपरोक्त दोनों तत्वों को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर में स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि वादी मुकदमा ने अपनी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह की शादी अरुण सिंह के साथ हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार की थी। तहरीर में उल्लिखित कथनों के अनुसार वादी मुकदमा की बहन (मृतका) को दहेज के रुप में रुपयों की मांग के लिए उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर हत्या कर दिया।

104- इस स्तर पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग किए जाने एवं दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किए जाने के तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है तथा न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाना अपेक्षित है कि अपराध कारित किए जाने में विचाराधीन अभियुक्तगण की क्या भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत इस तर्क पर भी विचार किया जाना आवश्यक है कि अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को उसकी मृत्यु के शीघ्र पूर्व दहेज की मांग के लिए उसे प्रताड़ित किया गया हो अथवा क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया हो।

105- इस क्रम में अभियोजन द्वारा साक्षी पी०डब्लू०-1 के रुप में मृतका के भाई शशि प्रताप सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत स्वयं की मुख्यपरीक्षा के तहत इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह का विवाह 23 अप्रैल, 2019 को अरुण सिंह अभियुक्त संख्या-1 के साथ हुआ था तथा दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह अपने पति के साथ ससुराल गयी। अभियोजन साक्ष्य में यह भी आया है कि उसके कुछ दिन बाद से ही साक्षी पी०डब्लू०-1 की बहन के पति अरुण सिंह, सास उषा सिंह, देवर अजीत सिंह सभी लोग उसकी बहन को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। दिनांक 19.04.2020 की रात में लगभग 12 बजे उसकी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह ने उसके पास फोन करके रोते हुए उससे कहा कि उसके पति अरुण सिंह, सास उषा सिंह व देवर अजीत सिंह यह सभी लोग दहेज की मांग करते हुए उससे झगड़ा किए हैं व उससे मारपीट किए हैं तथा ढाई लाख रुपए अपने घर से मंगा लो नहीं तो जान से मार देंगे। दूसरे दिन सुबह दिनांक 20.04.2020 को अपनी बहन के घर जाने के लिए गाड़ी खोज रहा था, लेकिन लाकडाउन होने के कारण कोई साधन व गाड़ी नहीं मिली। उसी दिन दोपहर में समय लगभग 12 बजे अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह के पति अरुण सिंह ने फोन करके सूचना दिया कि आपकी बहन अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह मर गयी है। जिसके पश्चात वादी मुकदमा अपने बड़े भाई सुनील व विष्णु सिंह व बड़ी बहन अनुराधा सिंह के साथ अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह के ससुराल के लिए चल दिए। अभियोजन साक्षी का यह भी कथन है कि जब वह रास्ते में ही थे कि अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह का देवर अजीत सिंह फोन करके कहा कि हम लोग लाश जलाने के लिए घाट ले जाने की तैयारी कर रहे है, परन्तु उन लोगों के न मानने पर रास्ते से ही 100 नंबर पर पुलिस को फोन करके इस घटना के बारे में सूचना दिया तथा जब पहुंचा तो वहां 100 नंबर पुलिस के लोग मौजूद थे तथा जिसके पश्चात प्रार्थना पत्र बोलकर, लिखवाकर, पढ़कर उस पर अपना हस्ताक्षर बनाकर तहरीर प्रार्थना पत्र दिया, जिसे साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रदर्श क-1 के रुप में साबित किया गया है। साक्षी का यह भी कथन है कि पंचनामे पर साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1), उसके चाचा शैलेन्द्र सिंह तथा सुनील सिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे प्रदर्श क-2 के रुप में साबित किया गया है। इसके अलावा शादी के कार्ड को वस्तु प्रदर्श-1 के रुप में प्रमाणित किया गया है।

106- बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 की प्रतिपरीक्षा की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी पी०डब्लू०-1 अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के तथ्यों को साबित करने में सफल नहीं रहा है तथा उसके द्वारा अनेकों विरोधाभाषी बातें कही गयी हैं जो उसकी मुख्य परीक्षा का समर्थन नहीं करती हैं।

107- पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं साक्षी पी०डब्लू०-1 की प्रतिपरीक्षा के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी पी०डब्लू०-1 मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह के भाई हैं तथा उनके द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में विवाह का कार्यक्रम दिनांक 29 अप्रैल 2019 को संपादित होने के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा के तहत विवाह के समय तक कोई वाद-विवाद न होने के संबंध में अपने साक्ष्य में स्वीकार किया गया है, परन्तु साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मुख्य परीक्षा के कथनों के विपरीत यह विरोधाभाषी बात कही है कि-

> "घटना के एक दिन पहले अर्थात उसी रात को लगभग बारह बजे के आसपास मेरी बहन (मृतका) ने दीदी के मोबाईल पर फोन की थी। जिस नम्बर से फोन आया था। उसका मोबाईल नम्बर 9559857878 था। उक्त सिम मेरे नाम पर था। मैंने ही बहन को दिया था। दीदी का नम्बर जिस पर फोन आया था। वह 9198896397 था, जो मेरे ही नाम पर है। जिसका प्रयोग दीदी करती है।"

108- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा जहां एक ओर अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 19.04.2020 को रात में लगभग 12 बजे उसकी मृतक बहन द्वारा उसे फोन किया गया, वहां अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि फोन उसके पास नहीं आया, बल्कि उसकी बहन के पास आया। इस संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क समुचित है कि अभियोजन साक्षी द्वारा मृत्यु से पूर्व घटना को साबित कराने हेतु उक्त साक्षी को प्रस्तुत ही नहीं किया गया। ऐसे में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-1 का यह कथन कि उसके द्वारा अपनी मृतका बहन को सुबह उसके घर आने के बारे में कहा गया, कैसे संभव है। जबकि साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि-

> "यह कहना सही है कि मैंने शिकायत में दिनांक 19.04.2020 को बहन द्वारा फोन करके सूचना देने की बात नहीं लिखाया है। मैंने शिकायत में सूचना परिवार को देने की बात लिखी है। परिवार में दीदी व मैं भी आता हूं।"

109- अभियोजन साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया है कि-

> “मैंने अपनी शिकायत में यह बात नहीं लिखा है कि 19.04.2020 को मेरी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। मैंने अपनी शिकायत में दिनांक 19.04.2020 को बहन के साथ मारपीट की बात लिखायी।"

110- बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) पेशे से अधिवक्ता हैं जबकि उनके द्वारा पंचनामे के समय उक्त बातें नहीं बतायी गयी हैं। इस संबंध में प्रदर्श क-2 पंचनामे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में पंचनामे की कार्यवाही साक्षी पी०डब्लू०-1 के समक्ष हुई थी तथा जिस पर साक्षी द्वारा अपने हस्ताक्षर भी किए गए हैं और साक्षी द्वारा उसे स्वीकार भी किया गया है, परन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में साक्षी द्वारा विरोधाभाषी बातें बतायी गयी हैं। साक्षी पी०डब्लू०-1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया गया है कि-

> "पंचनामा दिनांक 20.04.2020 को ग्यारह बजे लगभग पंचनामा शुरू हुआ था। कब पंचनामा की कार्यवाही खत्म हुई, याद नहीं है। लगभग दो-तीन घण्टा लगा था। पंचनामा की कार्यवाही के समय मैं, सुरेन्द्र सिंह, सुनील सिंह आदि थे। हम लोगों का बयान दरोगा जी ने लिया था। पंचनामा में पंचों की राय के समय दिनांक 20.04.2020 को समय 12:30 बजे लगभग बन्द कमरे में गले में रस्सी से फन्दा लगाकर पंखे की कुण्डी पर लटकी पायी गयी, उल्लिखित है। दोनों पक्ष की मौजूदगी

में लिखी है। यह कहना गलत है कि मैं अदालत में झूठ बोल रहा हूं। मैं दिनांक 19.04.2020 को बहन के ससुराल गया था। वहां वॉडी बाहर पड़ी हुई थी। मेरी बहन का पंचनामा 20.04.2020 को हुआ था, जबकि पुलिस ने पंचनामा 21.04.2020 को किया है। उपरोक्त दोनों में पुलिस ने जो लिखा है, वह सही है। पंचनामा के समय मैं मौजूद था। दिनांक 20.04.2020 को लाश पोस्टमार्टम हाउस शाम को दो-तीन बजे चली गयी थी। अगर पुलिस ने 21.04.2020 को 14:25 पी०एम० पर लाश भेजना लिखा हो तो, मैं नहीं बता सकता। मेरी बहन की शरीर पर चोट के निशान थे। अगर पोस्टमार्टम में चोट के निशान न हो तो मैं कारण नहीं बता सकता। यह सत्य है कि प्रदर्श क- 1 की तहरीर मैंने अपने हाथ से नहीं लिखा है। यह सही है कि तहरीर लेखक के हस्ताक्षर प्रदर्श क-1 पर नहीं है। मैंने प्रदर्श क-1 पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर बनाया है जबकि प्रार्थी और मेरा नाम हिन्दी में है। यह कहना सही है कि प्रदर्श क-1 में तहरीर मुझे पढ़कर सुनायी गयी और उसके बाद मैंने हस्ताक्षर किया, नहीं लिखा है। प्रदर्श क-1 की तहरीर मैंने थाना पर दिनांक 20.04.2020 को तीन-चार बजे के लगभग दे दिया था और उसकी कापी मुझे दी गयी थी।"

111- अभियोजन साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) की प्रतिपरीक्षा में अनेकों विसंगतियां हैं, क्योंकि पंचनामे की कार्यवाही दिनांक 20.04.2020 को न होकर दिनांक 21.04.2020 को समय साढ़े बारह बजे प्रारंभ होकर समय 13:15 बजे तक ग्राम- बजहा, थाना- गुलरिहा बाजार, गोरखपुर में संपादित हुई। साक्षी का यह कहना कि पंचनामे में 2-3 घण्टे लगे, यह भी विश्वसनीय नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्रदर्श क-2 पंचनामे के अनुसार पंचनामे की कार्यवाही 45 मिनट में पूर्ण हुई, जबकि साक्षी द्वारा एक जगह दिनांक 19.04.2020 को अपनी बहन की बाडी ससुराल पर देखे जाने की बात कही गयी है तथा पंचनामा 20.04.2020 को ही होने के बारे में पुनः कहा गया है, जबकि साक्षी ने लाश को पोस्टमार्टम हाउस पर 20.04.2020 को भेजे जाने की बात कही है तथा यह भी कहा है कि यदि 21.04.2020 को 14:25 पी०एम० पर लाश भेजना लिखा हो तो मैं नहीं बता सकता। साक्षी द्वारा अपनी बहन के शरीर पर चोट के निशान होने की बात कही गयी है, परन्तु पंचनामा प्रदर्श क-2 में इसका अभाव है। साक्षी पी०डब्लू०-1 का यह कहना कि मृतका का पार्थिव शरीर दिनांक 20.04.2020 को पोस्टमार्टम हाउस को 3 बजे भेजा गया था, सही नहीं है, क्योंकि इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर गले में पाए गए लिगेचर मार्क के अतिरिक्त कोई अन्य जाहिरा चोट न होने के विषय में उल्लिखित है, जबकि पंचनामा प्रदर्श क-2 पर भी कोई जाहिरा चोट न होने के विषय में लिखा गया है।

112- अभियोजन द्वारा साक्षी पी०डब्लू०-1 के बयानों में आए विरोधाभाषों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच की विधि व्यवस्था **गुड्डू पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [20222 (120) ACC 2243]** में विश्वास व्यक्त किया गया है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि अभियोजन के मामले में पाए गए मामूली विरोधाभाष के आधार पर अभियोजन का मामला दूषित नहीं होता है, बल्कि अभियोजन साक्षी शशि प्रताप सिंह (पी०डब्लू०-1) तिथि संबंधी तथ्यों से दिग्भ्रमित हो गया है। ऐसे में

इसका कोई प्रभाव मामले पर नहीं पड़ता है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **तकदीर शमशुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य [2012 (1) JIC 604 (SC)]** में दिए गए विधि मत की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह विधि मत दिया गया है कि-

> "10. It is settled legal proposition that while appreciating the evidence, the Court has to take into consideration whether the contradictions/ omissions/improvements/embellishments etc. Had been of such magnitude that the may materially affect the trial. Minor contradictions, inconsistencies, omissions or improvements on trivial matters without affecting the case of the prosecution should not be made the Court to reject the evidence in its entirety. The Court after going through the entire evidence must form an opinion about the credibility of the witnesses and the appellate Court in natural course would not be justified in reviewing the same again without justifiable reasons.
>
> (Vide: Sunil Kumar Sambhudayal Gupta (Dr.) & Ors. v. State of Maharashtra, JT 2010 (12) SC 287: 2010 (13) SCC 657)"

113- अभियोजन के उक्त तर्क पर विचारित करने से स्पष्ट है कि साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में जो बातें बतायी गयी हैं, उसमें यह संभव है कि वह तिथि संबंधित विसंगति में पड़ गया हो, परन्तु साक्षी का यह कहना कि उसने मृतका के शरीर पर चोटों के निशान देखे थे तथा पोस्टमार्टम में चोट के निशान नहीं थे तथा पंचनामे में वर्णित तथ्य कि मृतका बन्द कमरे में पंखे पर लटकी थी, से इंकार करने के संबंध में उसके इस साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

114- इस संबंध में बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि मामले में बचाव पक्ष को ही प्रतिपरीक्षा के माध्यम से ही साक्षी की सत्यता के विषय में तथ्यों को उजागर करने का अवसर रहता है, परन्तु अभियोजन साक्षी के साक्ष्य में इस प्रकार का तथ्य है जिससे पता चलता है कि वह सत्य बात का कथन नहीं कर रहा है। बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि साक्षी का यह कहना कि अभियुक्तगण मृतका की लाश को जलाने के लिए ले जाने की जल्दी कर रहे थे, किसी प्रकार भी सही नहीं है। साक्षी का यह कहना कि रास्ते से ही 100 नंबर पर फोन करके सूचना दी गयी, यह संभव नहीं है, क्योंकि 100 नंबर की पुलिस फोन करने वाले स्थान के आस-पास की जगह से ही सक्रिय होती है, जबकि अभियोजन की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे इस बात का पता चलता हो कि वादी मुकदमा द्वारा 100 नंबर पर फोन किया गया था।

115- हस्तगत मामले में न्यायालय द्वारा मृतका की मृत्यु से पूर्व अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य मौखिक साक्षियों जैसे साक्षी पी०डब्लू०-2 शैलेन्द्र सिंह एवं साक्षी पी०डब्लू०-3 हरेन्द्र सिंह के साक्ष्य पर भी विचारित किया गया। साक्षी पी०डब्लू०-2 शैलेन्द्र सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में समान रुप से इस बात का कथन किया गया है कि मृतका एवं अभियुक्त अरुण सिंह की शादी के उपरान्त विदायी दिनांक 29.04.2019 को हुई थी तथा ससुराल जाने के बाद ही अभियुक्तगण ससुर मोहन सिंह, सास उषा सिंह, पति अरुण सिंह एवं देवर अजीत सिंह यह सभी लोग नाराज रहते थे तथा लड़की की विदायी के 5-6 माह बाद उषा सिंह, अजीत सिंह व अरुण सिंह ने पादरी बाजार के आस-पास की जमीन का सौदा किए थे तथा

फोन के माध्यम से दो लाख पचास हजार की मांग करते थे तथा हम लोग सहमति से पैसा देने के लिए सहमत थे। साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया गया है कि उसकी भतीजी रक्षाबन्धन के समय घर आयी थी और पैसे की बात बतायी थी और मारने-पीटने की बात बतायी थी, जबकि घटना के संबंध में साक्षी द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि दिनांक 19.04.2020 की रात में हम लोगों को फोन से बतायी कि अभियुक्तगण उसे मार रहे हैं। हम लोग रात में गाड़ी खोजे। गाड़ी नहीं मिली। कोरोना कर्फ्यू का समय था। दिनांक 20.04.2020 को उषा सिंह, अजीत सिंह व अरुण सिंह तीनों मिलकर उसकी भतीजी अस्मिता सिंह की हत्या कर दिए। उनके घर के बगल से फोन आया। कोई लेडीज की थी कि भाभी अस्मिता सिंह उर्फ नेहा मर गयी। इस बात की सूचना उसे उसके भतीजे द्वारा प्राप्त हुई। उस समय मैं गोरखपुर में रहता था। मैं अपने परिवार के साथ दोपहिया वाहन से ग्राम- बजहा, अरुण सिंह के घर पहुंच गया। वे लोग संस्कार के लिए जा रहे थे। हम अकेले थे, पत्नी साथ में थी। मना करने पर नहीं माने। फिर हमने भतीजे के पास फोन किया। फिर 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुला लिया। यह लोग जबरदस्ती मार झगड़ा पर उतारू थे। पुलिस की मदद से रोका गया, तब जाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपनी ही गाड़ी में लादकर मेडिकल कालेज ले गए थे। भतीजी के शव का पंचनामा हुआ था। यह याद नहीं है कि पंचनामा कहां हुआ था। साक्षी द्वारा पंचनामा प्रदर्श क-2 पर बने अपने हस्ताक्षर को देखकर तस्दीक किया गया।

116- बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 के साक्ष्य को अविश्वसनीय बताया गया है तथा कहा गया है कि इस साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि वह तीन भाई हैं। जिसमें हरेन्द्र सिंह हैदराबाद में रहते हैं। शैलेन्द्र सिंह गोरखपुर में तारामण्डल मखलिया में रहते हैं जबकि तीसरे भाई धीरेन्द्र सिंह मुम्बई में रहते हैं। साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि पूरे परिवार के साथ गोरखपुर में रहता है तथा अपना मकान बनवा लिया है। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया है कि-

> "पंचनामा के समय पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने पुलिस को पंचनामा के समय यह बयान नहीं दिया था कि मेरी भतीजी अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह 20.04.2020 को समय करीब बारह बजे पी०एम० पर बन्द कमरे में गले में रस्सी से फंदा लगा कर पंखे की कुण्डी से लटकी पायी गई। पुलिस ने यह बात पंचनामा पर लिखकर यदि हस्ताक्षर करा लिया हो तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पंचनामा पर क्या लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं था। इस पंचनामे पर ससुराल पक्ष के धर्मदेव सिंह और हरिश्चन्द सिंह और मायके के पक्ष के मैं और शशि प्रताप सिंह मृतक नेहा के भाई तथा गांव के पुनीत सिंह ने हस्ताक्षर बनाए थे। शशि प्रताप सिंह अधिवक्ता हैं। सुनील सिंह भी पढ़े लिखे है।"

117- साक्षी के उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि इस साक्षी द्वारा इस संबंध में पंचनामा प्रदर्श क-2 पर दिए गए इस कथन की पुष्टि की है कि मृतका की मृत्यु बन्द कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर कुण्डी से लटकी हुई लाश पायी गयी। यद्यपि साक्षी द्वारा न्यायालय में इंकार किया गया है, परन्तु यह साक्षी पासपोर्ट आफिस में आनलाईन फोर्म भरने का काम करता है। ऐसे में यह साक्षी अशिक्षित साक्षी नहीं है। ऐसे में स्पष्ट है कि यह

न्यायालय में सही बात का कथन नहीं कर रहा है, जबकि उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे यह कथन किया गया है कि-

> “मैं घटनास्थल पर करीब 11-12 बजे पहुंचा था। मेरे पहुंचने के पहले पुलिस आ चुकी थी। जिस कमरे में मेरी भतीजी गले में रस्सी से फंदा लगाकर पंखे के कुण्डे में लटकी पायी गयी थी, उस कमरे को पुलिस अंदर देखने नहीं गयी थी।"

118- साक्षी के उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि साक्षी चूंकि गोरखपुर शहर में ही निवास करता है। अतः सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त ही घटनास्थल पर पहुंच गया तथा जब पहुंचा तो पुलिस आ चुकी थी तो साक्षी का यह कहना कि 100 नंबर को फोन करके पुलिस बुलाने संबंधी कथन मिथ्या पाया जाता है।

119- उक्त अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा प्रतिपरीक्षा में आगे यह भी कथन किया गया है कि-

> “मेरे भतीजे ने जब मैं गोरखपुर में था तो यह सूचना फोन के द्वारा दिया था। मेरी भतीजी गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी गयी है। पुलिस घटनास्थल से लाश को कितने बजे उठाकर ले गयी, मुझे समय नहीं पता है। मैं शव के साथ जब पुलिस लेकर गयी, तब मैं साथ में गया था। पहले लाश पुलिस ने गुलरिहा पुलिस चौकी पर ले गयी। गुलरिहा पुलिस चौकी पर पुलिस ने कुछ लिखा-पढ़ी किया। गुलरिहा चौकी पर पुलिस ने लाश को सील मुहर किया। पंचनामा वहां तैयार किया या नहीं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन वहां एक कागज पर हस्ताक्षर कराए। मैं यह नहीं बता सकता कि वह कौन-सा कागज था। मैंने उस कागज को पढ़ा नहीं था। पंचनामा प्रदर्श क-2 देखकर गवाह ने कहा कि इसी कागज पर पुलिस ने मुझसे घर पर दरखास्त कराया था। गुलरिहा चौकी पर जिस कागज पर दस्तखत कराया वह मैं नहीं बता सकता। दस्तखत एक बार ही किया था। दस्तखत 20.04.2020 को किया था। अपनी भतीजी के घर मैं दो-तीन बार गया हूं। फोर लेन से पश्चिम की तरफ पिपरोड कटी है।"

120- साक्षी पी०डब्लू०-2 का यह कथन भी सही नहीं है कि पंचनामे की कार्यवाही पुलिस चौकी पर हुई। यदि इस पर विश्वास किया जाए तो साक्षी पंचनामे के समय मौजूद ही था था, क्योंकि मृतका की लाश दिनांक 21.04.2020 को पोस्टमार्टम हेतु भेजी गयी थी।

121- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे यह भी कथन किया गया है कि-

> “जब मैं पहुंचा तो लाश इनके दरवाजे के समाने रखा गया था। मैंने लाश को उलट-पलट कर देखा। उसके गले पर चोट थी व ब्लाउज फटा था और कहीं चोट नहीं था। लाश कितने बजे के करीब गुलरिहा पुलिस चौकी से मेडिकल कालेज पहुंची, समय का अन्दाजा नहीं है। मेरी भतीजी का कोई दवा-इलाज चलता था, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं चूंकि गोरखपुर में रहता था एवं दो

दिन के लिए घर जाता था, इसका कारण मैं नहीं जानता कि उसका दवा-इलाज चलता था या नहीं।"

122- साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कही गयी उक्त बातों से पता चलता है कि वह न तो पंचनामे के समय मौजूद था और न ही उसे मृतका को दहेज हेतु प्रताड़ित किए जाने के संबंध में कोई जानकारी है।

123- अग्रेतर उक्त साक्षी शैलेन्द्र सिंह (पी०डब्लू०-2) द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया है कि-

> "यह बात सत्य है कि अजीत सिंह मेरे घर जमीन खरीदने के लिए पैसा मांगे थे और दो लाख पचास हजार रूपये की मांग किये थे। यह रूपया मुझसे नहीं मांगे थे, बल्कि शशि से मांगे थे। यह रूपया अजीत सिंह न तो हमसे मांगे थे ना तो मेरे दोनों भाईयों से मांगे थे। यह बात कि अजीत सिंह मुझसे पैसा मांगे थे, मुझे शशि सिंह ने बताया था। रक्षाबन्धन किस तारीख को पड़ा था, मैं नहीं बता सकता। 20.04.2020 को मेरी भतीजी मोबाइल के द्वारा शशि से बात की थी, मुझसे बात नहीं की थी। वह नम्बर मुझे नहीं पता है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि नेहा के गांव के कौन से व्यक्ति ने शशि सिंह को फोन किया था कि अस्मिता सिंह की हत्या हो गई है।"

124- साक्षी पी०डब्लू०-2 शैलेन्द्र सिंह के द्वारा कही गयी उपरोक्त बातें भी घटना से मेल नहीं खाती तथा साक्षी पी०डब्लू०-1 शशि प्रताप सिंह के साक्ष्य का समर्थन नहीं करती हैं, क्योंकि मृतका की कोई बात दिनांक 20.04.2020 को शशि प्रताप सिंह अथवा अन्य किसी परिजन से हुई हो, ऐसा कोई साक्ष्य पी०डब्लू०-1 ने नहीं दिया है।

125- उक्त साक्षी शैलेन्द्र सिंह द्वारा आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि-

> "शशि प्रताप सिंह बांसगांव कचहरी में एडवोकेट है। वहीं काम करते है। मुझे नहीं पता कि अस्मिता सिंह रक्षाबन्धन के दिन कब घर आयी थी। शाम को लगभग सात बजे अस्मिता अपने घर गयी थी। अपने हसवैण्ड के साथ। उसके हसवैण्ड घर आये थे। खाना वगैरह खा के शाम को अपनी पत्नी के साथ चले गये। यह बात सत्य है कि तीनों परिवार अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रहते है। ऐसा नहीं है कि मैं शशि प्रताप के कहने पर मैं झूठी गवाही देने चला आया। ऐसी भी बात नहीं है कि शशि प्रताप ने मुझे जो बात बताया था मैं केवल वहीं बात बता रहा हूं। मैं अरूण सिंह को खाना खाते खिलाते अपने घर पर नहीं देखा था। मैं रक्षा बन्धन के दिन अरूण सिंह को नहीं देखा था। मैं अरूण सिंह व उसके पत्नी के आने व उसके घर ले जाने की बात अपने घर वालों के बताने पर कहा है। मैंने इन लोगों को नहीं देखा था।"

126- अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 की प्रतिपरीक्षा में अनेकों विरोधाभाषी बातें हैं। जहां एक ओर वह अपनी प्रतिपरीक्षा में इस बात का कथन करता है कि घटनास्थल पर पुलिस उसके द्वारा 100 नंबर पर फोन करने पर आयी थी, वहीं अपनी प्रतिपरीक्षा में विरोधाभाषी बात यह बताता है कि घटनास्थल पर करीब 11-12 बजे पहुंचा तथा पुलिस आ चुकी थी तथा उसकी लाश कुण्डी पर लटकी हुई पायी गयी थी। जबकि उसका यह कथन कि लाश को कितने बजे उठाकर ले गयी, उसे समय नहीं पता, परन्तु वह साथ में गया था तथा गुलरिहा चौकी पर ले गये तथा वहां लिखा-पढी की गयी। साक्षी का यह कथन भी समुचित नहीं है, क्योंकि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.04.2020 को सायं 06:57 बजे दर्ज करायी गयी तथा पंचनामे की कार्यवाही अगले दिन दिनांक 21.04.2020 को साढ़े 12 बजे से 13:15 बजे तक संपादित हुई तथा दिनांक 21.04.2020 को ही मृतका के शव को पोस्टमार्टम हाउस हेतु भेजा गया, जबकि पैसा मांगने के संबंध में साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट कहा गया है कि जमीन खरीदने के लिए पैसा मांगा था। जबकि अन्य विरोधाभाषी बात यह भी कहता है कि 20.04.2020 को उसके भतीजे शशि से बात की थी, मुझसे बात नहीं की थी, जबकि गांव की लेडीज के बारे में यह कहना कि नेहा के गांव के कौन-से व्यक्ति ने शशि प्रताप सिंह को फोन किया था, उसे जानकारी नहीं है। साक्षी के उक्त कथन से यह भी स्पष्ट है कि उसे इस तथ्य की जानकारी भी नहीं है कि अभियुक्त अरुण सिंह के द्वारा ही मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा की मृत्यु की सूचना उसके परिजनों को दी गयी थी। इसके अलावा साक्षी का यह कहना की रक्षाबन्धन के दिन अरुण सिंह और अस्मिता सिंह अपने घर आयी थी तथा खाना खाकर साथ चले गए। साक्षी का यह कथन भी उसे अविश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में पहुंचा देता है, क्योंकि अरुण सिंह लगातार दिनांक 27.06.2019 से 10.02.2020 तक भारत देश में मौजूद ही नहीं था। ऐसे में यह साक्षी विश्वसनीय नहीं है तथा इसका साक्ष्य अनेकों अंतर्विरोधों से भरा हुआ है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

127- अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०-3 हरेन्द्र सिंह जो मृतका के पिता हैं, को भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है, जो कि मामले के एक महत्वपूर्ण साक्षी हैं तथा न्यायालय को यह देखना है कि इस साक्षी द्वारा मृतका की मृत्यु होने से पूर्व के संबंध में क्या साक्ष्य दिया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि उसकी लड़की मरने के एक दिन पूर्व दिनांक 19.04.2020 को टेलीफोन से बात हुई थी, 11 बजे दिन में हुई थी तो उसने अपने साथ हो रही प्रताड़ना व मारपीट की बात बतायी थी। साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में इस तथ्य को भी स्पष्ट किया गया है कि घटना के समय वह आन्ध्रप्रदेश में था तथा उसका बयान टेलीफोन के जरिए लिया गया था।

128- उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि वह लड़की के मरने की सूचना के पांच महीने बाद आया था। घटना के बारे में उसे बीबी, लड़की व भाई सभी ने बताया था। इस साक्षी को बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में सुझाव दिया गया है कि नाजायज गर्भ होने के कारण बेइज्जती न हो, इसलिए फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि शादी के समय न तो अपनी पुत्री के वरक्षा में ही शामिल हुआ था। साथ ही साक्षी के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट होता है कि शादी के समय कोई दिक्कत नहीं हुई थी तथा शादी विवाह तक सब कुछ कार्यक्रम राजीखुशी से रहा था। जहां एक ओर साक्षीगण पी०डब्लू०-1 एवं पी०डब्लू०-3 के साक्ष्य परस्पर दहेज की मांग के संबंध में

रक्षाबंधन के समय का उल्लेख कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई उल्लेख इस साक्षी के साक्ष्य में नहीं है, जबकि इस साक्षी के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि यह अधिकांश आंध्रप्रदेश में ही रहता है।

129- प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन को इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना था कि मृतका अपनी मृत्यु से पूर्व दहेज संबंधी प्रताड़ना में रही है। बचाव पक्ष की ओर से मृतका के ईलाज के वर्ष 2018 से वर्ष 2020 तक के दवा एवं पर्चों की मूल प्रतियां दाखिल की गयी हैं, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पीड़िता को महीना न आने संबंधी बीमारी थी तथा जिसका ईलाज गोरखपुर में ही विवाह के पूर्व एवं विवाह के पश्चात चलता रहा है। मामले के तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि जहां एक ओर अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा शशि प्रताप सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अपनी मृतका बहन द्वारा उसे फोन किए जाने की बात बतायी गयी है, वहीं अपनी प्रतिपरीक्षा में अपनी मृतका बहन द्वारा अपनी दूसरी बहन को बताने के बारे में कथन किया गया है, जबकि पंचनामा प्रदर्श क-2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतका के शरीर पर कोई जाहिरा चोट लिगेचर मार्क के अलावा नहीं पायी गयी तथा मामले की विवेचक रचना मिश्रा (पी०डब्लू०-5) द्वारा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा पंचनामे के गवाहों का साक्ष्य संकलित किया गया था तथा उनके द्वारा बन्द कमरे में ही मृतका की लाश गले में रस्सी से फन्दा लगाकर पंखे की कुण्डी से लटके पाए जाने के विषय में स्वीकार किया है। साथ ही मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त कोई अन्य चोट न होने के विषय में भी स्वीकार किया गया है।

130- अभियोजन साक्षी विवेचक रचना मिश्रा (पी०डब्लू०-5) द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया है कि-

> “दौरान विवेचना मुझे इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि 19.04.2020 की रात में मृतका के साथ ससुराल के लोगों ने झगड़ा किया और उसे मारा-पीटा। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी ने यह भी नहीं लिखा था कि मेरी बहन को दहेज के लिये मार डाला। 19.04.2020 की रात में उसके परिवार से मृतका के ससुराल में उसके साथ झगड़ा हुआ। मारपीट हुआ। ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आयी।"

131- अभियोजन साक्षी रचना मिश्रा (पी०डब्लू०-5) द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया है कि-

> “इस बात की तस्करा उसके भाई ने एफ०आई०आर० और बयान में कहा कि अरूण सिंह ने तत्काल सूचना दिया कि तुम्हारी बहन आत्महत्या कर ली। अरूण सिंह बाहर नौकरी करता था कि नहीं उसका मैंने कोई तफ्तीश नहीं किया, लेकिन उस समय घर आया हुआ था। मैंने इसके बावत कोई तफ्तीश नहीं किया था कि अरूण कहा नौकरी करता है। मैंने अरूण का बयान लिया था।"

132- अभियोजन साक्षी रचना मिश्रा (पी०डब्लू०-5) द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया है कि-

> “मैंने इस बावत नहीं पता था कि मुल्जिम अरूण Oman airline के विभाग से 27.06.2019 को लखनऊ से मस्कट के लिए उड़ा था। मस्कट पहुंचने के बाद 28.06.2019 को मस्कट से दोहा गया था। जो वार्डिंग पास मुझे दिखाया गया, वो अरूण से मुझे दिखाया नहीं था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दोहा कतर से वह पुनः दिल्ली 08.02.2020 को आया। सात माह कुछ दिन वह कतर में रहा। अरूण कुमार का पासपोर्ट 21.01.2013 से 20.01.2023 तक Valid था और अरूण इण्डिया से 27.06.2019 को गया था, इसलिए उसका पासपोर्ट Valid था और उसके पासपोर्ट पर 09.02.2020 को वह नई दिल्ली से लखनऊ के लिए चला, फिर अपने घर गया। मृतका का पोस्टमार्टम दिनांक 21.04.2020 को हुआ था। मृतका के पेट में बच्चा जनवरी माह के अंत में आया होगा। यह कहना गलत है कि दूसरे का बच्चा पेट में था, इसलिए वह Depression में जाकर आत्महत्या कर ली।"

133- विवेचक किसी भी मामले में एक महत्वपूर्ण साक्षी होता है, क्योंकि उसके द्वारा ही साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जाती है, परन्तु प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा जो बातें कही गयी हैं, उनमें कुछ बातें इस बारे में इंगित करती हैं कि उसके द्वारा समुचित विवेचना नहीं की गयी तथा विवेचना में कुछ लोप किया गया है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **धनज सिंह उर्फ शेरा बनाम पंजाब राज्य [2004 (2) JIC 322 (SC)]** में विश्वास व्यक्त करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में यह दिशाकारी निर्देश दिया गया है कि त्रुटिपूर्ण अन्वेषण के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता, अगर चक्षुदर्शी साक्षी का बयान घटना को समर्थित करता हो। माननीय न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था के पैरा-5 में निम्नवत् अवधारित किया गया है-

> “5. In the case of a defective investigation the Court has to be circumspect in evaluating the evidence. But it would not be right in acquitting an accused person solely on account of the defect; to do so would tantamount to playing into the hands of the investigating officer if the investigation is designedly defective. (See Karnel Singh v. State of M.P. 1995 (1) JIC 1139 (SC) : (1995) 5 SCC 518: 1995 SCC (Cri) 977)”

134- अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रति तर्क पर विचारित करते हुए एवं माननीय न्यायालय की विधि व्यवस्था का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विवेचक द्वारा टेलीफोन के माध्यम से साक्ष्य लिया जाना एवं दौरान विवेचना जी०डी० एन्ट्री न करना एवं प्रदर्श क-4 नक्शा-नजरी के अवलोकन से भी ऐसा प्रदर्शित होता है कि विवेचक द्वारा न तो नक्शा-नजरी पर कोई तिथि ही अंकित की गयी है और न ही कहां मृतका का मृत शरीर लटका हुआ था, इस संबंध में भी नक्शे में कुछ अंकित किया गया है और न ही इसके द्वारा अभियुक्त अरुण सिंह के विषय में कोई जांच ही की गयी है। उख्त के आधार पर जबकि मामला दहेज मृत्यु से संबंधित है। विवेचक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित रुप से नहीं किया गया है।

135- अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य के अंतर्गत साक्षीगण डी०डब्लू०-1 के रुप में अजीत सिंह को परीक्षित कराया गया जबकि साक्षी डी०डब्लू०-2 के रुप में सोनमती को परीक्षित कराया गया। उक्त साक्षीगण द्वारा पीड़िता के अवसाद में होने की बात बतायी गयी तथा जिसका कारण अभियुक्त की माता/सहअभियुक्ता उषा सिंह के नाम जमीन खरीदा जाना बताया है तथा दिनांक 17.03.2021 को जमीन गोरखपुर में खरीदे जाने से गंभीर रुप से अवसाद में जाने के विषय में साक्ष्य दिया है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी तथा वह किसी प्रकार भी मृतका की मृत्यु हेतु जिम्मेदार नहीं है। साक्षी डी०डब्लू०-2 सोनमती द्वारा भी अपनी मुख्य परीक्षा में मृतका को अंदरुनी बीमारी होने तथा महीने में तीन-चार बार पीरियड आने के कारण उसकी दवाई चलने के विषय में साक्ष्य दिया गया है तथा अपने साक्ष्य में यह भई कहा है कि कमजोरी की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गयी थी तथा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण चिन्तित रहती थी। इसके अलावा एक अन्य कारण यह भी बताया है कि उसके पति जहाज में कमा रहे थे और घर से बाहर रह रहे थे। इस कारण वह परेशान रहती थी। इसके पति ने अपनी मां के नाम से जमीन खरीद लिया, जिससे उसकी औरत नाराज हो गयी।

136- अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के तहत सूची 16ख के माध्यम से लखनऊ से मस्कट का दिनांक 27.06.2019 का व मस्कट से कतर का दिनांक 28.06.2019 का टिकट की मूल प्रति, बोर्डिंग पास दाखिल किया गया है जबकि कतर से दिल्ली तक का दिनांक 08.02.2020 का एवं दिल्ली से लखनऊ का दिनांक 09.02.2020 का बोर्डिंग पास की मूल प्रति, पासपोर्ट की मूल प्रति दाखिल की गयी है। जबकि विक्रय विलेख दिनांक 17.03.2020 जो श्रीमती उषा सिंह के नाम भूमि क्रय किए जाने के संबंध में दस्तावेज है, की मूल प्रति भी सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत की गयी है।

137- बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 17.03.2020 की मूल प्रति दाखिल कर इस संबंध में सफाई साक्ष्य डी०डब्लू०-1 अजीत सिंह एवं डी०डब्लू०-2 सोनमती द्वारा दिए गए साक्ष्य का समर्थन किया गया है, जबकि अभियुक्त अरुण सिंह की यात्रा संबंधी बोर्डिंग पास एवं पासपोर्ट की मूल प्रति के माध्यम से यह तथ्य स्थापित है कि अभियुक्त अरुण सिंह द्वारा दिनांक 27.06.2019 को लखनऊ से मस्कट तक एवं दिनांक 28.06.2019 को मस्कट से कतर तक विदेश यात्रा की गयी थी तथा दिनांक 08.02.2020 को कतर से दिल्ली तक तथा दिनांक 09.02.2020 को दिल्ली से लखनऊ वापस आया। अभियुक्त अरुण सिंह के पासपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 27.06.2019 से 09.02.2020 तक अभियुक्त भारत देश में नहीं था, क्योंकि उसके पासपोर्ट में इस प्रकार का कोई इन्द्राज नहीं है कि वह इस दौरान कभी वापस आया हो। इसके अलावा इस संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क भी समुचित है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०-2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में जो साक्ष्य इस संबंध में दिया गया है कि रक्षाबंधन के समय अभियुक्त एवं मृतका अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह अपने घर आए थे तथा साक्षी द्वारा उसे अपनी ससुराल में देखा गया था, के संबंध में दिया गया साक्ष्य गलत है। मामले के तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 29 अप्रैल, 2019 को मृतका एवं अभियुक्त अरुण सिंह का विवाह होने के उपरान्त विदायी हुई थी तथा दिनांक 27.06.2019 को अर्थात विवाह के लगभग दो माह पश्चात ही अभियुक्त अपनी नौकरी के सिलसिले में वापस यात्रा पर चला गया। मामले के तथ्यों में यह भी आया है कि अभियुक्त मर्चेन्ट आफ नेवी में सर्विस करता था तथा वह दिनांक

10.02.2020 को अपने गृह जनपद गोरखपुर वापस आया। यह तथ्य निर्विवादित रुप से पक्षकारों द्वारा भी स्वीकृत है तथा इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है।

138- बचाव पक्ष की ओर से मामले में यह तर्क भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि मृतका के शरीर पर लिगेचर मार्क के अतिरिक्त अन्य कोई चोट नहीं थी। इस हेतु मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 एवं मृतका का पंचनामा प्रदर्श क-2 के अवलोकन से भी यह तथ्य स्थापित है कि मृतका के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं थी, जबकि मृतका की मृत्यु के विषय में ऊपर लिए गए निष्कर्ष में भी यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि मृतका की मृत्यु आत्महत्या/हैंगिंग के कारण ही हुई है।

139- बचाव पक्ष द्वारा एक अन्य तर्क यह भी प्रस्तुत किया जा रहा है कि अभियोजन के अनुसार मृतका की दिनांक 20.04.2020 को रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-3 के अनुसार मृतका अपनी मृत्यु के समय तीन माह की गर्भवती बतायी गयी है। जिसके आधार पर बचाव पक्ष द्वारा इस संबंध में तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि दिनांक 10.02.2020 से अपनी मृत्यु के समय तक अर्थात 20 अप्रैल 2020 तक वह कुल 2 माह 10 दिन तक ही अपने पति के सहचर्य में रही। ऐसे में जब उसे इस तथ्य का ज्ञान हुआ कि वह किसी अन्य पुरुष से गर्भवती थी तो उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष के इस तर्क के विरुद्ध यह प्रति तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि नाहक ही मृतका के चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में जबकि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जब वह तीन माह की गर्भवती थी तथा उसके गर्भ में तीन माह का भ्रूण था, जबकि वह अपने पति के सहचर्य में अधिकतम 2 माह 10 दिन ही रही थी। ऐसे में बचाव पक्ष के इस तर्क को भी सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है।

140- अभियोजन द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण की ओर से मृतका के तीन माह के गर्भवती होने एवं उसके द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने संबंधी तर्क उनके द्वारा प्रारंभ से नहीं उठाया गया तथा उक्त तर्क के समर्थन में साक्षी पी०डब्लू०-3 मृतका के पिता को ही प्रथम बार इस संबंध में सुझाव दिया गया। जबकि बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा अपने सभी संभावित बचाव न्यायालय के समक्ष रखे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस विषय में घटना के समय कोई निश्चयात्मक तथ्य नहीं था तथा वह बचाव में किसी भी स्तर पर कोई भी तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं। बचाव पक्ष का तर्क समुचित पाया जाता है, क्योंकि अभियुक्त अपनी सफाई में किसी भी तथ्य की जानकारी होने पर एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में जांच उपरान्त अपने मुवक्किल से पूछे गए प्रश्न के आधार पर कभी भी अपना बचाव बदल सकता है एवं नया बचाव ले सकता है। यह मामले के तथ्यों पर एवं अधिवक्ता की विद्वता पर निर्भर करता है। ऐसे में अभियोजन का तर्क समुचित नहीं पाया जाता है।

141- प्रस्तुत मामले में अभियोजन पर यह दायित्व था कि वह इस तथ्य क न्यायालय के समक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करे कि मृतका को उसकी मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग के संबंध में क्रूरतापूर्ण व्यवहार के तहत रखा गया था। प्रस्तुत मामले के तथ्यों में अभियोजन की ओर से कोई सारवान साक्ष्य नहीं आया है तथा मामले में अनेकों विसंगतियां हैं।

142- साक्ष्य विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि साक्षीगण का साक्ष्य संपूर्णता में पढ़ा जाएगा तथा अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में विरोधाभाषी कथन किए गए हैं, जिससे धारा-498ए व 304बी भा०दं०सं० के आवश्यक अवयव की बावत उक्त अभियोजन साक्षीगण के कथनों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

143- इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **चरन सिंह उर्फ चरनजीत सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य 2023 लाइव ला एस०सी० 341** में विश्वास व्यक्त किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि- "अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की सामूहिक परिशीलन के आधार पर, हमारा विचार है कि धारा 304बी भा०दं०सं० और धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमान लगाने के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं होने के कारण अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता। विवाह के सात वर्ष के भीतर वैवाहिक घर में मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु मात्र धारा 304बी और 498ए भा०दं०सं० के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।"

144- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **करन सिंह बनाम हरियाणा राज्य क्रिमिनल अपील संख्या 1076/2014** के वाद में भी माननीय न्यायालय द्वारा धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दहेज हत्या का अनुमान लगाने में क्रूरता के तथ्य को आवश्यक तथ्य बताया तथा जिसे साबित न कर पाने के आधार पर धारा 498ए,304बी भा०दं०सं० के अपराध में अभियुक्त को दोषमुक्ति प्रदान की गयी है।

145- माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **राजेश चड्ढा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2025 (4) JIC 325 (SC)]** तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **भूपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य [2025 (131) ACC 297]** में विश्वास व्यक्त करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जहां भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304बी के तहत दहेज हत्या के मामले में अभियोजन साक्ष्य में स्पष्ट रुप से विवाहिता महिला के साथ क्रूरता किए जाने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य प्रदर्शित नहीं गया हो, वहां सामान्य आरोप के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज हत्या की धारणा नहीं की जा सकती है।

146- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 के तहत दहेज हत्या की उपधारणा किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **बैजनाथ बनाम मध्यप्रदेश राज्य {2017 (1) JIC Reports 40 (SC)]** तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **वेद प्रकाश त्यागी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वगैरह [2025 (133) ACC 881]** में विश्वास व्यक्त किया गया है। माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में यह अभिमत दिया गया है कि-

> "If the prosecution fails to prove the ingredients of cruelty and harassment by direct and cogent evidence, the factum of unnatural death in matrimonial home and that too within seven years of marriage ipso facto not sufficient to bring home the charge under Section 498-A and 304B, IPC."

इस प्रकार माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए विधिमत के अनुसार ही प्रश्नगत मामले का विचारण किया जा रहा है।

147- बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के मात्र 7 वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने के तथ्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का विधिमत माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **छोटेलाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2025 (1) JIC 950 (All)]** में दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त विधिमत का सम्मानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में मृतका की मृत्यु से पूर्व उसके साथ की गयी किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक हिंसा का पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर ही अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किए जाने के सम्बन्ध में विधिमत दिया गया है।

148- हस्तगत प्रकरण में दहेज की मांग व उससे संबंधित क्रूरता का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले समस्त साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभाष दर्शित हो रहा है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा किए गए विरोधाभाषी कथनों से अभियोजन के इस कथन को बल प्राप्त नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका की मृत्यु के शीघ्र पूर्व तक मृतका के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया जाता रहा था। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ क्रूरता किए जाने के एक भी प्रकरण को साबित नहीं किया जा सका है। मृतका की मृत्यु के पूर्व अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ क्रूरता किए जाने का कोई ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली में विद्यमान नहीं है। अतः अभियोजन दहेज मृत्यु के दो महत्वपूर्ण तत्व- 'दहेज की मांग' एवं मृत्यु से कुछ पूर्व मृतका के साथ 'क्रूरता' साबित नहीं कर पाया है। स्पष्ट है कि अस्मिता सिंह उर्फ नेहा सिंह की मृत्यु 'दहेज मृत्यु' (Dowry Death) की श्रेणी से बाहर हो जाती है। चूंकि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज में पांच लाख रुपए की मांग की जाती थी एवं उक्त मांग को लेकर मृतका को मृत्यु के शीघ्र पूर्व तक प्रताड़ित किया जाता रहा था। इस स्थिति में अभियोजन को धारा 113बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों का भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

149- उपरोक्त प्रकार से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों तथा विधि के प्रावधानों का सम्यक परिशीलन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अभियुक्तगण पर लगा आरोप अंतर्गत धारा 498ए,304बी,323/34,315,506 भा०दं०सं० व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं हो सका है। अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है।

150- न्याय दृष्टान्त **आनन्द रामचन्द्र चौगुले बनाम सिडाराय लक्ष्मन चौगुले व अन्य (2019) 8 एस०सी०सी० 50** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि प्रतिपादित की गई है कि-

> "सभी उचित संदेहों से परे आरोपों को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इसके विपरीत, आरोपी को केवल अभियोजन मामले और उसके बचाव की संभावना के बारे में संदेह पैदा करना है। अभियोजन पक्ष के विपरीत, किसी अभियुक्त को सभी उचित संदेहों

से परे अपना बचाव स्थापित करने या साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।"

151- विधि व्यवस्था **सुखदेव यादव बनाम बिहार राज्य ए०आई०आर० 2001 एस०सी० 3678** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अपना मामला निश्चितता के साथ संदेह से परे साबित करे। अभियुक्त, अभियोजन के मामले में आए संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

152- इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **एम०एम० नागेश्वर राव बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य (2011) 2 एस०सी०सी० 188** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत हो वह साक्ष्य का रुप नहीं ले सकता।

153- न्याय दृष्टान्त **राजीव कुमार बनाम बिहार राज्य बगैरह (2015) 16 एस०सी०सी० 369** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि-

> "आपराधिक न्यायशास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी आरोप को तभी साबित माना जा सकता है जब कानूनी दोषसिद्धि के लिए निश्चित और स्पष्ट सबूत हों और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध नैतिक दोषसिद्धि के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कथित अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, अन्यथा किसी भी अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला हो, अकेले संदेह कानूनी सबूत की जगह नहीं ले सकता। आपराधिक न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है 'जितना अपराध उतना अधिक सबूत'। स्पष्ट शब्दों में, यह कानून का आदेश है कि आपराधिक मुकदमे में सफल होने के लिए अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे आरोप साबित करना होगा।"

154- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन को स्वयं अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है एवं अभियोजन बचाव साक्ष्यों के कमजोर प्रकृति के होने का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। जबकि अभियुक्त द्वारा अभियोजन के मामले पर मात्र संदेह उत्पन्न कर देना ही पर्याप्त होता है। अभियुक्तगण को अपना बचाव अभियोजन की तरह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई बचाव लिया जाता है, जो असंभाव्य नहीं है एवं पत्रावली पर उस बचाव को समर्थन करने हेतु सामग्री उपलब्ध है, उस दशा में अभियुक्तगण को अग्रेतर कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी दशा में अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी हो जाता है जब तक कि अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित न करे।

155- इस प्रकार अभियोजन द्वारा ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका या उसके घर वालों से अतिरिक्त

दहेज की मांग की गई थी और उक्त मांग को लेकर मृतका को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करके मारपीट किया जाता था और उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी तथा उक्त के अनुक्रम में मृतका का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। अतः अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 498ए,304बी,323/34, 506,315 भा०दं०सं० व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।

वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता

156- प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498ए,304बी,323/34,315,506 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा धारा 302 भा०दं०सं० के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दहेज मृत्यु के आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सका है। हस्तगत मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी वादी मुकदमा तथा तथ्य के अन्य गवाहों द्वारा इस तथ्य को सिद्ध नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 304बी भा०दं०सं० का आरोप अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है। जबकि धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्तगण के विरुद्ध आकर्षित नहीं होते हैं।

157- न्यायालय में प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग किए जाने, दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किए जाने तथा मृतका की दहेज मृत्यु कारित किए जाने के तथ्य को साबित करने में विफल रहा है। इस स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व है कि वह घटना पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करे तथा मृतका, जो कि न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए अस्तित्व में नहीं है, को न्याय मिल सके।

158- बचाव पक्ष द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत वैकल्पिक रुप से बनाए गए आरोप के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले में सामान्य क्रम में आरोप बना लिया गया है, जबकि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **राजू व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य [2015 (90) ACC 153]** में यह विधि मत दिया गया है कि दहेज हत्या के प्रत्येक मामले में अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 का आरोप विरचित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि पत्रावली पर इस प्रकार का कोई साक्ष्य मृतका की हत्या किए जाने के विषय में न हो।

159- अभियोजन की ओर से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **धर्मेन्द्र निषाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत आपराधिक अपील संख्या 5538/2016** में दिए गए दिशाकारी निर्देश की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया है, जिसके आधार पर अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दण्डित किये जाने की प्रार्थना की जा रही है। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्था का ससम्मानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विधि व्यवस्था वाले मामले में मृतका के शरीर पर जो चोटें पायी गयी थी, उसका काराण आत्महत्या नहीं पाया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 302 भा०दं०सं० के तहत दोषसिद्ध किया गया था, जिसका आधार यह था कि मृतका का शव उसके शयन कक्ष में पाया गया था तथा ऐसा कोई प्रमाण नहीं था, जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त घटनास्थल पर नहीं था, जिससे साक्ष्य अधिनियम की धारा 106

के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध माना गया, जबकि प्रश्नगत मामले के तथ्यों से स्पष्ट है कि मृतका की मृत्यु हैंगिग के कारण हुई है।

160- अभियोजन साक्षी डा० सुनील कुमार (पी०डब्लू०-4) तथा मृतका की शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क-3 के विवेचन से यह निष्कर्ष प्राप्त किया जा चुका है कि मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी थी। जबकि विशेषज्ञ साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में इस प्रकार का निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि मृतका की मृत्यु हैंगिग से हुआ है अथवा स्ट्रेन्गुलेशन से हुई है, परन्तु इसके संबंध में मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर कोई बाह्य चोट का न होना, जबकि अधिकतर संकेत का इस विषय में इशारा करना कि उसकी मृत्यु हैंगिग से ही हुई है, के आधार पर पूर्व में विचारित किया गया है। अतएव अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किए जाने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

161- अभियुक्तगण के विरुद्ध मृतका की हत्या कारित किए जाने के आरोप की पुष्टि न होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विचार किया जाना भी आवश्यक हो जाता है कि यदि अभियुक्तगण द्वारा गला दबाकर मृतका की हत्या कारित नहीं की गयी है तो उस दशा में कहीं अभियुक्तगण द्वारा मृतका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित तो नहीं किया गया है।

162- अभियुक्त पर विरचित आरोप अंतर्गत धारा 306 भा०दं०सं० के निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व उक्त धारा के प्रावधान का अवलोकन किया जाना न्यायसंगत होगा-

धारा 306 भा०दं०सं० यह प्रावधानित करती है कि- जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

163- धारा 306 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा दो तथ्यों का साबित किया जाना अपेक्षित है, सर्वप्रथम यह कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया गया, द्वितीयतः कि उक्त दुष्प्रेरण के फलस्वरुप मृतका द्वारा आत्महत्या कर ली गयी।

164- दुष्प्रेरण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 में परिभाषित किया गया है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 प्रावधानित करती है कि- वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो-

पहला- उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; अथवा

दूसरा- उस बात को करने के लिए किसी षडयन्त्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षडयन्त्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए, अथवा

तीसरा- उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोप द्वारा साशय सहायता करता है।

स्पष्टीकरण 1- जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, या तात्विक तथ्य, जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा, स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 2- जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय, उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है।

165- बचाव पक्ष द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **रवि बनाम पंजाब राज्य [2025 (2) JIC 581]** में विश्वास व्यक्त किया गया तथा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध मृतका को आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित किए जाने के विषय में भी पत्रावली पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त विधि व्यवस्था में स्पष्ट रुप से यह दिशाकारी निर्देश दिया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान उसी स्थिति में आकर्षित होते हैं जब अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण को दोषी होने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला पाया गया हो।

166- न्याय दृष्टान्त **उदे सिंह व अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2019) 17 एस०सी०सी० 301** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के तत्वों और यह निर्धारित करने में विचार किए जाने वाले कारकों पर विस्तार से प्रकाश डाला है कि क्या कोई मामला उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत आता है।

> “38- आत्महत्या के लिए कथित रुप से उकसाने के मामलों में, आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य/कार्यों का सबूत होना चाहिए। इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि आत्महत्या के कारण का प्रश्न, विशेष रुप से आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के संदर्भ में, एक पेचीदा प्रश्न बना हुआ है, जिसमें मानव व्यवहार और प्रतिक्रियाओं/ प्रतिक्रियाओं की बहुआयामी और जटिल विशेषताएं शामिल हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, न्यायालय आत्महत्या के लिए उकसाने के कृत्य/कार्यों के ठोस और ठोस सबूत की तलाश करेगा। आत्महत्या के मामले में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक को परेशान करने का मात्र आरोप तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई कार्य न हो जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता हो और ऐसा अपमानजनक कार्य घटना के समय के निकट होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है या नहीं, यह केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से ही पता लगाया जा सकता है।"

167- विधि व्यवस्था **कमलाकर बनाम कर्नाटक राज्य क्रिमिनल अपील नंबर 1485/2001, निर्णय दिनांकित 12.10.2023** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि-

"भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने पर दण्डित करती है। इस धारा के तहत किसी पर आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने आत्महत्या में भूमिका निभाई थी। विशेष रूप से, आरोपी का कृत्य भा०दं०सं० की धारा 107 में वर्णित तीन मानदंडों में से एक के अनुरूप होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि आरोपी ने या तो व्यक्ति को अपनी जान लेने के लिए प्रोत्साहित किया, अन्य लोगों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने की साजिश रची कि उसने ऐसा किया है। आत्महत्या, या ऐसे तरीके से कार्य करना (या कार्य करने में असफल होना) जिसके परिणामस्वरूप सीधे तौर पर व्यक्ति को आत्महत्या करनी पड़ी।"

168- न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए साक्षीगण पी०डब्लू०-1 लगायत पी०डब्लू०-3 द्वारा यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज की मांग किए जाने व उसे प्रताड़ित किए जाने का कथन किया गया है, किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में विरोधाभाषी कथन किए गए हैं।

169- उपरोक्त विवेचन से प्रकट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं होता है जिससे यह निष्कर्ष प्राप्त हो सके कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित करने में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गयी हो अथवा अभियुक्तगण द्वारा मृतका से ऐसा कोई कथन किया गया हो जिससे क्षुब्ध होकर मृतका द्वारा स्वयं आत्महत्या कर ली गयी हो।

170- इस प्रकार उपरोक्त समस्त मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्य के विवेचन व तथ्यों एवं परिस्थितियों के समग्र विश्लेषण के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण अरुन सिंह एवं उषा सिंह अंतर्गत धारा 498ए,304बी,323/34,315,506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं० में दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **अरुन सिंह** एवं **उषा सिंह** को सत्र वाद संख्या 418/2021, मुकदमा अपराध संख्या 192/2020, थाना- गुलरिहा, जनपद- गोरखपुर के आरोप अंतर्गत **धारा 498ए,304बी,323/34,315,506 भा०दं०सं०** तथा **धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा वैकल्पिक आरोप अंतर्गत धारा 302 भा०दं०सं०** के दण्डनीय अपराध से संदेह का लाभ देते हुए **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण अरुन सिंह एवं उषा सिंह पूर्व से जमानत पर हैं। अतः उनके जमानतनामे व बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण अरुन सिंह एवं उषा सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 481 के प्रावधान के अनुपालन में प्रत्येक 20,000-20,000/- रुपए (बीस-बीस हजार रुपए) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो-दो जमानतें न्यायालय में अंदर सप्ताह दाखिल करें कि

इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील होने की दशा में, अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

दिनांक- 01.07.2026

(सुदेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code- UP1782

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक- 01.07.2026

(सुदेश कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0,
(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),गोरखपुर।
J.O.Code- UP1782

Digitally signed by SUDESH KUMAR
Date: 2026.07.01 17:15:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court